## नगर पंचायत अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखों का
## अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
## अंकेक्षण अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024
### भाग – एक

**1 प्रारम्भिक**

**(क)** ग्यारहवें वित आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या:1-376/81-फिन(एल० ए०) खण्ड-(ख) IV/ दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर पंचायत अम्ब के लेखों अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 का अंकेक्षण कार्य निष्पादित किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे:-**

**(i) प्रधान, नगर पंचायत अम्ब**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमती इंदु बाला | 01.04.2023 से 31.03.2024 |

**(ii) सचिव, नगर पंचायत अम्ब**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री रमन कुमार | 01.04.2023 से 15.03.2024 |
| 2 | रिक्त | 16.03.2024 से 31.03.2024 |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-**

नगर पंचायत के लेखों अवधि 01.04.23 से 31.03.24 तक के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:-

| क्र० सं० | गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण | पैरा संख्या | राशि (₹)लाखों में |
|---|---|---|---|
| 1 | अनुदानों की राशि उपयोग हेतु शेष । | 8(ख) | 574.56 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना | 8(ग) | 235.24 |
| 3 | गृहकर की वसूली न करने के परिणामस्वरूप वितीय हानि। | 9 | विवरण पैरे में दिया गया है |
| 4 | विभिन्न मदों जैसे कि दुकानों के किराये, तहबाजारी शुल्क, घर-घर कूड़ा संग्रहण कर की वसूली न करना । | 10(क), 12 व 13 | 24.39 |
| 5 | 5 वें व 6 वें राज्य वित आयोग निधि से अनियमित व्यय/निकासी। | 14 | 65.26 |
| 6 | प्रधानमन्त्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अधिक भुगतान। | 16 | 0.65 |
| 7 | निर्माण कार्यो को पांच लाख से कम भागों में बांटने के कारण ऑनलाइन ई- टेंडरिंग प्रक्रिया न अपना कर अनियमित भुगतान। | 21 | 25.75 |
| 8 | संविदाकारों को अधिक भुगतान। | 22 | 0.63 |
| 9 | प्रशासनिक अनुमोदन के बगैर निर्माण कार्यों का निष्पादन। | 27 | 53.35 |
| 10 | सफाई कार्य हेतु श्री सोनू, सफाई ठेकेदार को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के रूप में अनुचित भुगतान । | 28 | 1.08 |
| 11 | वैधानिक कटौतियां को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाना। | 29 व 30 | 4.09 |

**(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन**

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:HPSAD/AC/SML-2024-25-358 दिनांक: 03.12.2024, व HPSAD/AC/SML-2024-25-11 दिनांक: 11.01.2025 द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में लंबित पैरों पर आवश्यक कार्यवाही करके शीघ्र समायोजन हेतु प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था, लेकिन नगर पंचायत द्वारा पैरों के समायोजन हेतु कोई कदम नहीं उठाये गए जोकि गम्भीर चिंता का विषय है। नगर पंचायत द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरांत नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि लंबित अंकेक्षण पैरों के समायोजन हेतु प्राथमिकता के आधार पर विशेष अभियान चलाया जाये ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

## भाग –दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण**

नगर पंचायत अम्ब, जिला ऊना के लेखों अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक का अंकेक्षण कार्य श्री श्रवण कुमार, सहायक नियंत्रक (अंकेक्षण) द्वारा अवधि 21.12.2024 से 21.01.2025 तक के दौरान नगर पंचायत के स्थित कार्यालय अम्ब में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में समाविष्ट है। लेखों का विस्तृत अंकेक्षण करने हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया:-

| **वितीय वर्ष** | **आय** | **व्यय** |
|---|---|---|
| 2023-24 | 03/2024 | 07/2023 |

**अस्वीकरण:**-इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव, नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की गलत/ अधूरी सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, के कारण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव के लिए राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उतरदायित्व नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क**

नगर पंचायत के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक के लेखों के अंकेक्षण का शुल्क **₹24000** आँका गया। उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करने हेतु सचिव नगर पंचायत से निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर शिमला भेजने हेतु सहायक नियंत्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML-2024-25-25 दिनांक 21.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया था। जिसकी अनुपालना में नगर पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या: 000756 (एच.डी.एफ़.सी.) दिनांक 29.01.2025 ₹24000 निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला -171009 को प्रेषित कर दिया गया है।

4 **वितीय विवरणियाँ**

नगर परिषद अधिनियम -1994 के अंतर्गत तथा नगर पंचायत के Accounts Mannual के पैरा 27.4 के अनुसार नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित वितीय विवरणियाँ तैयार की जानी आवश्यक

हैं। अंकेक्षण में निम्न वर्णित वितीय विवरणियाँ अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या:HPSAD/AC/SML-2023-24-358 दिनांक 03.12.2024 व HPSAD/AC/SML-2023-24-18 दिनांक 17.01.2025 द्वारा अनुरोध करने पर प्रत्युतर में प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई वितीय विवरणियों का व्योरा निम्न प्रकार से है :-

| क्रम संख्या | वितीय विवरणी | प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई |
|---|---|---|
| 1 | तुलनपत्र (Balance Sheet) | केवल अन्तिम तुलनपत्र (Provisional Balance Sheet) प्रस्तुत किया गया। |
| 2 | आय व व्यय खाता (Income & Expenditure A/c) | केवल अनंतिम आय-व्यय खाता (Provisional Income & Expenditure A/C ) प्रस्तुत किया गया। |
| 3 | आय व व्यय विवरणी (Income Expenditure Statement ) | प्रस्तुत की गई। |
| 4 | नकदी प्रवाह विवरणी (Cash Flow Statement) | केवल अनंतिम नकद प्रवाह विवरणी (Provisional Cash Flow Statement) प्रस्तुत की गई । |
| 5. | प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी (Receipt & Payment Account) | प्रस्तुत नहीं की गई। |
| 6. | लेखों पर टिप्पणियाँ (Notes on Accounts) | प्रस्तुत नहीं की गई। |
| 7. | वितीय प्रदर्शन सूचक (Financial Performance Indicator) | प्रस्तुत नहीं की गई। |

## 4.1 दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System for Accounting) को लागू न करने के कारण सत्यापन न किया जाना:-

निदेशक शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या: UD-H(C)-15-49/2003 –III/3332-3379 दिनांक 25.03.2009 , UD-H(C)-15-49/2003 –III/9337-9385 दिनांक 07.09.2009 एवं UD-H(C)-15-49/2003 –IV/5215-63 दिनांक 19.07.2010 द्वारा सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिए गये थे कि लेखा खातों का अनुरक्षण दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System) के आधार पर किया जाए। परन्तु नगर पंचायत अम्ब, जिला ऊना के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखा खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि इन निर्देशों की पूर्ण अवहेलना करते हुए लेखा खातों का अनुरक्षण एकल लेखा पद्धति (Single Entry System) के आधार पर ही किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता

है। लेखा का अनुरक्षण एकल पद्धति के कारण लेखा का सत्यापन नहीं किया जा सका | अंकेक्षण के दौरान केवल अंकेक्षण दल द्वारा रोकड़ बही का सत्यापन किया गया | अतः निदेशक शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु प्राथमिकता के आधार पर लेखों का अनुरक्षण दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System) से करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**4.2 वर्ष 2023-24 के तुलनपत्र अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना :-**

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML-2023-24- 358 दिनांक 04.12.2024 व HPSAD/AC/SML-2025-18 दिनांक 17.01.2025 द्वारा अनुरोध किये जाने पर भी नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2023-24 के तुलनपत्र अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये अथवा तैयार नहीं किये गये हैं, केवल अनंतिम तुलनपत्र (Provisional Balance Sheet) ही प्रस्तुत किया गया था , जिसका सत्यापन नहीं किया जा सकता | यह बहुत ही गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य हेतु वास्तविक तुलनपत्र (Original Balance Sheet) नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

**5 वितीय स्थिति**

नगर पंचायत अम्ब की अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक के लेखों पर आधारित वितीय स्थिति पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ख"** पर उपलब्ध करवाई गई, के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

**(क) मुख्य रोकड़ बही**

| वितीय वर्ष | शीर्ष | आरंभिक शेष (₹) | आय | ब्याज (₹) | कुल योग (₹) | व्यय (₹) | अंत शेष (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2023-24** | **स्वय स्त्रोत** | **4890419.91** | **2784237.00** | **1750496.00** | **9425152.91** | **4496984.58** | **4928168.33** |
| | **अनुदान** | **49419291.50** | **31560476.00** | **0** | **80979767.50** | **23523841.62** | **57455925.88** |
| | **योग** | **54309711.41** | **34344713.00** | **1750496.00** | **90404920.41** | **28020826.20** | **62384094.21** |

| BANK BALANCES AS ON 31.03.2024 IN R/O NAGAR PANCHAYAT AMB, DISTT.UNA | | | |
|---|---|---|---|
| **Sr No.** | **Name of the Bank** | **Account No** | **Amount (₹)** |
| 1. | Central Bank of India Amb | 5135961589 | 229135.48 |
| 2. | Central Bank of India Amb | 5111957934 | 5871.90 |
| 3. | Punjab National Bank Amb | 3992000100169846 | 33534096.00 |
| 4. | Punjab National Bank Amb | 3992000100170657 | 1599741.50 |
| 5. | Punjab National Bank Amb | 3992000100170408 | 2436496.50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | Canara Bank Amb | 110035956514 | 3003140.00 |
| 7. | HDFC Amb | 50100465329016 | 103371.38 |
| 8. | HDFC Amb | 50100490189607 | 7917764.30 |
| 9. | HDFC Amb | 50100464287122 | 0.00 |
| 10. | HDFC Amb | 50100463303500 | 2.00 |
| 11. | HDFC Amb | 50100464286589 | 13601075.15 |
| | | Total | 62430694.21 |

**Bank Reconciliation Statement of Nagar Panchayat Amb as on 31.03.2024**

| | Particulars | | | **Amount (₹)** |
|---|---|---|---|---|
| | Balance a per Cash Book as on 31.03.2024 | | | **62384094.21** |
| Add | Cheque No. | Date | Amount (₹) | |
| 1 | RTGS of Rs 75175 send to Bank but debited by Bank Rs 57312(75157-57312=17845 | 21-09-2021 | 17845.00 | |
| 2 | 264249 | 23-07-2021 | 3000.00 | |
| 3 | RTGS Returned | 21-09-2021 | 2000.00 | |
| 4 | RTGS of Rs 52740 send to Bank but debited by Bank Rs 46578(52740-46578)=6162 | 16-08-2021 | 6162 | |
| 5 | RTGS of Rs 34500 send to Bank but debited by Bank Rs 32000(34500-32000)=2500 | 07-02-2022 | 2500 | |
| 6 | 285931 | 14-02-2022 | 840 | |
| 7 | 286435 | 24-02-2022 | 1000 | |
| 8 | 286426 | 07-02-2022 | 850 | |
| 9 | 286438 | 24-02-2022 | 1817 | |
| 10 | Amount Paid to Amar Ujala through RTGS not debited by bank till 31st March 2024 | 15-03-2024 | 5375 | |
| 11 | Amount Paid to Amar Ujala through RTGS not debited by bank till 31st March 2024 | 15-03-2024 | 5375 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Extra Deposit Cash to Bank | 19-06-2023 | 40.00 | **46804.00** |
| Less | Short Deposit in Bank | | 4.00 | |
| | Cash-in-Hand | 31-03-2024 | 200.00 | **204.00** |
| | Balance as per Pass Book | | --- | **62430694.21** |

**(ख) पेंशन रोकड़ बही (परिशिष्ट - "ग")**

| वितीय वर्ष | आरंभिक शेष (₹) | आय(₹) | ब्याज (₹) | कुल योग(₹) | व्यय(₹) | अंत शेष (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2023-24** | **00** | **781932.00** | **2667.00** | **784599.00** | **00** | **784599.00** |

| | | |
|---|---|---|
| दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार अंतिम शेष | | **₹784599.00** |
| दिनांक 31.03.2024 को बैंक खातों में शेष जमा राशि | | **₹784599.00** |
| (i) सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, खाता संख्या : 5533817601 | **₹784599.00** | |
| कुल योग. | | **₹ 784599.00** |

वितीय स्थिति/ रोकड़ बही व बैंक खातों के दिनांक 31.03.2024 को अंत शेष में अंतर = शून्य

**6. नगर पंचायत अम्ब के गत तीन वर्षों की आय-व्यय का विवरण**

नगर पंचायत अम्ब के गत तीन वर्षों की आय-व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

| **वितीय वर्ष** | **आय (₹) (स्वः स्रोत+अनुदान+ब्याज)** | **व्यय (₹)** |
|---|---|---|
| 2021-22 | 34086506.00 | 7473276.20 |
| 2022-23 | 45959797.43 | 30130306.84 |
| 2023-24 | 36095209.00 | 28020826.20 |

**7 आधिक्य (surplus) निधि राशि को सावधि जमा में निवेश न करना :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31-03-24 को **परिशिष्ट-"ख"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ₹624.31 लाख की राशि बैंक बचत खातों में शेष जमा थी व सचिव नगर पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार किसी भी राशि का सावधि जमा में निवेश नहीं किया गया था जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है क्योंकि यदि उक्त जमा राशि में से नगर पंचायत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधिक्य (Surplus) निधि को सावधि जमा में निवेश किया होता तो ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित की जा सकती थी। अत: परामर्श दिया जाता है कि

कुशल वित्तीय प्रबन्धन करके आधिक्य (Surplus) निधि को सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय अर्जित की जा सके और नगर पंचायत के विकास कार्य भी प्रभावित न हो।

**8 (क) अनुदान**

नगर पंचायत अम्ब की अंकेक्षणाधीन अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक अनुदानों की वितीय स्थिति निम्नानुसार है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "घ"** पर भी दिया गया है।

| **वितीय वर्ष** | **आरंभिक शेष** (₹) | **प्राप्तियां** (₹) | **कुल योग** (₹) | **व्यय**(₹) | **अंतिम शेष**(₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| **2023-24** | **49419291.50** | **31560476.00** | **80979767.50** | **23523841.62** | **57455925.88** |

**(ख) दिनांक 31.03.24 को अनुदानों की ₹574.56 लाख उपयोग हेतु शेष :-**

अनुदानों की उक्त वितीय स्थिति से स्पष्ट विदित होता है कि नगर पंचायत को विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान राशि में से दिनांक 31.03.2024 को ₹**57455925** उपयोग हेतु शेष थी जबकि अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक अथवा दो वर्ष के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती हैं। अतः अनुपयोग अनुदान राशियों को समयबद्ध उपयोग न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इन्हें सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग/व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाये व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

**(ग) ₹235.24 लाख के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना :-**

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट-(घ)** के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदानों में से वितीय वर्ष 2023-24 में ₹**23523841** का व्यय किया गया दर्शाया गया है | लेकिन अनुदान की राशि जिन-जिन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर पंचायत द्वारा व्यय की गई है, की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी, क्योंकि नगर पंचायत द्वारा न तो अनुदान रजिस्टर को व न ही अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित जारी किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गया | अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे कि माह/ दिनांक, बिल / वाउचर इत्यादि से संबन्धित विवरण अनुदान

रजिस्टर में दर्ज किए जाएं व सम्पूर्ण अभिलेख जारी किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों सहित सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**9. गृहकर की वसूली न करने के परिणामस्वरूप वितीय हानि :-**

नगर पंचायत अम्ब, जिला ऊना का गठन सचिव, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: UD-A (1)2/2012 दिनांक 27.10.2020 द्वारा किया गया | माननीय राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 4 की उप धारा (7) तथा धारा 80 की उप धारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत अम्ब को गठन की अधिसूचना की तिथि 27.10.2020 से आगामी तीन वर्षों की अवधि के लिए सामान्य करों से करमुक्त किया गया था | दिनांक 27.10.2020 के पश्चात नगर पंचायत के अस्तित्व में आने के तीन वर्ष की अवधि के पश्चात निर्माणों और भूमियों के स्वामियों से गृहकर वसूला जाना अपेक्षित था | यद्यपि नगर पंचायत के सम्पति कर उप नियम अधिसूचना संख्या: NPA/Bye-Laws/2022-522 दिनांक 12.09.2022 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हुए थे | हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय-6 धारा-65 (1) के अनुसार "निर्माणों और भूमियों पर स्वामी द्वारा संदेय तथा ऐसे निर्माणों और ऐसी भूमियों के वार्षिक मूल्य का कम से कम 1% (एक प्रतिशत) व अधिक से अधिक 25% (पच्चीस प्रतिशत) की दर से नगर पालिका गृहकर अधिरोपित करेगी" परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत अम्ब द्वारा अवधि तीन वर्ष के पश्चात दिनांक 31.03.2024 की समाप्ति तक नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले गृह स्वामियों व दुकानदारों से गृहकर की वसूली नहीं की जा रही थी जोकि उक्त वर्णित धारा - 65 (1) के प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण गम्भीर वितीय अनियमितता है।

नगर पंचायत की आय का मुख्य साधन गृहकर है जिससे प्राप्त आय को वहां की जनता की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता है, लेकिन नगर पंचायत द्वारा गृहकर की वसूली नहीं की जा रही है, जोकि गम्भीर चिंता का विषय है। जिसका विपरीत असर नगर पंचायत द्वारा किये जाने वाले विकासात्मक कार्यों पर भी पड़ रहा है |

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML-2025 -21 दिनांक 20.01.25 द्वारा नगर पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया था, जिसके प्रत्युतर में सचिव ने पत्र संख्या" न.प. अम्ब/155 दिनांक 21.01.25 द्वारा अवगत करवाया है कि गृहकर निर्धारण का कार्य प्रगति पर है | शीघ्र ही गृहकर अधिरोपित कर दिया जायेगा | उतर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि तीन वर्ष की अवधि के पश्चात निर्माणों और भूमियों के स्वामियों से गृहकर वसूला नहीं गया था |

अतः हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय -6 धारा -65 (1) के अनुसार गृहकर की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सर्वेक्षण उपरान्त गृहकर की वसूली सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 10 दुकानों के किराये से आय

### (क) दुकानों के किराये की बकाया ₹ 0.18 लाख वसूली हेतु शेष:-

नगर पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर निर्मित दुकानों को किराये पर आबंटित किया गया है जिससे प्राप्त किराया नगर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रोत है। नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "ड."** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.24 तक दुकानों के किराये के रूप में ₹17800 वसूली हेतु शेष थीं। जबकि निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या: यू०एल०बी०- एच० ए० (7)-1/87-9237/9284 दिनांक 20.06.01 द्वारा करों इत्यादि की शत प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गये थे परन्तु सचिव, नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में कोई ठोस कदम उठाये गये प्रतीत नहीं होते है जोकि एक गम्भीर चिंता का विषय है। अतः परामर्श दिया जाता है कि बकाया किराये की वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

## 11. विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल की गई ₹ 0.10 लाख को राजकीय कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-WLF-A(3)1/97 दिनांक 17.12.2004 द्वारा अधिसूचित विवाह पंजीकरण नियम-2004 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण फ़ीस के रूप में प्राप्त आय को राजकीय कोष में शीर्षक-0070-60-108-01 के अन्तर्गत जमा करवाया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक प्राप्ति विवाह पंजीकरण फ़ीस ₹9800 को सरकारी कोष में जमा की अपेक्षा नगर पंचायत निधि खाते में जमा करवाया गया है जोकि उक्त वर्णित नियम के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML-2024-25 -392 दिनांक 26.12.24 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसकी अनुपालना में \पत्र संख्या: न.प. अम्ब/146 दिनांक 21.01.25 द्वारा अवगत करवाया है कि "अवधि 01.04.2023

से 31.03.2024 तक जो भी फ़ीस विवाह पंजीकरण हेतु प्राप्त हुई है उसे नगर पंचायत के खाते में जमा करवाई गई है। उक्त मामले हेतु निदेशक शहरी विकास से पत्राचार किया जा रहा है।" उतर संतोषजनक नहीं है | अत: वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान नगर पंचायत द्वारा वसूल विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में उचित शीर्ष में जमा करवाकर, अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(i) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400 की कम वसूली:-**

अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत अम्ब के विवाह पंजीकरण रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि सम्बन्धित रजिस्टर के पृष्ठ संख्या: 51 के क्रम संख्या: 35 पर दिनांक 29.11.23 को विवाह का पंजीकरण किया गया है | जिसका कुल शुल्क ₹400 बनता है, लेकिन सम्बन्धित से शुल्क वसूल न करके पंजीकरण किया गया है | अतः उक्त राशि की वसूली करके उचित शीर्ष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए |

**12. तहबाजारी शुल्क के रूप में ₹2.40 लाख की वसूली न करना :-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML-2024-25-384 दिनांक 21.12 .2024 के प्रत्युतर में नगर पंचायत अम्ब द्वारा पत्र संख्या: न.प.अम्ब /2024-25/83 दिनांक 14 01.2025 के माध्यम से गली बिक्रेताओं (street vendors) की उपलब्ध करवाई गई सूची के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में कुल 16 पंजीकृत गली विक्रेता (Registered street vendors) हैं। नगर पंचायत अम्ब द्वारा प्रस्ताव संख्या: 111 दिनांक 17.12.2022 पारित करके तहबाजारी शुल्क की दैनिक दर ₹30 निर्धारित की है। नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में कोई भी राशि तहबाजारी शुल्क के रूप में प्राप्त नहीं की है। जबकि प्रस्ताव पारित करने उपरान्त तहबाजारी शुल्क की वसूली की जानी अपेक्षित थी। जिसके परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार अवधि 18.12.2022 से 31.03.2024 तक तहबाजारी शुल्क के रूप में ₹**239520** की वसूली न करने के कारण नगर पंचायत को वित्तीय हानि हुई है जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है :-

| वितीय वर्ष | नगर पंचायत परिक्षेत्र में गली विक्रेताओं की कुल संख्या | निर्धारित दैनिक दर प्रति विक्रेता (₹) | अवधि | वसूली योग्य राशि (₹) (2x3x4) | वसूला गया तहबाजारी शुल्क (₹) | कम वसूला गया तहबाजारी शुल्क (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 2022-23 | 16 | 30 | 18.11.22 से 31.03.23= कुल 134 दिन | 64320 | शून्य | 64320 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 16 | 30 | 01.04.23 से 31.03.24= कुल 365 दिन | 175200 | शून्य | 175200 |
| | | | | **₹239520** | **00** | **₹239520** |

यह प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML/2025-09 दिनांक 15.01 2025 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या: न.प. अम्ब/157 दिनांक 21.01.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि तहबाजारी शुल्क गली विक्रेताओं से वसूली कर जमा करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त वर्णित कम वसूल **₹239520** की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके नगर पंचायत निधि खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**13. घर-घर कूड़ा संग्रहण के उपयोक्ता प्रभार ₹21.82 लाख की कम वसूली :-**

नगर पंचायत अम्ब द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार अवधि 01.04.23 से 31.03.2024 तक के दौरान नगर पंचायत अम्ब क्षेत्र के आवासीय घरों, सरकारी कार्यालयों व व्यवसायिक संस्थानों से घर-घर कूड़ा संग्रहण के रूप में निम्नलिखित राशियाँ वसूली जानी अपेक्षित थी। नगर पंचायत अम्ब के घर-घर कूड़ा संग्रहण व निपटान उपनियम 2022, जो अधिसूचना संख्या: एन./पी.अम्ब सॉलिड वेस्ट -2022 -450 दिनांक 08.04.2022 द्वारा अधिसूचित किये गए थे, के नियम 5 (j) के अनुसार नगर परिषद परिक्षेत्र में घर-घर कूड़ा संग्रहण हेतु दरें निर्धारित की गई थी। अवधि 01.04.23 से 31.03.2024 तक के दौरान उपरोक्त उपनियमों में अधिसूचित उपयोक्ता प्रभार की दरों के अनुरूप निम्न विवरणानुसार राशि वसूल की जानी आपेक्षित थी:-

**(तालिका संख्या: 01)**

| क्रम संख्या | आवासीय घरों, सरकारी संस्थानों व व्यवसायिक संस्थानों का विवरण | गृहकर दाताओं/ व्यवसायिक संस्थानों की संख्या | मासिक दर (रूपयों में) | राशि (₹) | अवधि (04/23 से 03/24 तक ) | प्राप्त योग्य कुल राशि(₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 (3X4)** | **6** | **7 (5x6)** |
| **1** | **आवासीय घर वार्ड संख्या ( 01 से 9 तक) क्षेत्रफल 2000 वर्गफुट तक** | **2378** | **50** | **118900** | **12** | **1426800** |
| **2** | **दुकान** | **1000** | **50** | **50000** | **12** | **600000** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | फल व सब्जी की दुकान | 5 | 150 | 750 | 12 | 9000 |
| 4 | दुकान (मिठाई) | 5 | 200 | 1000 | 12 | 12000 |
| 5 | सरकारी कार्यालय (3 से 5 कमरों तक) | 13 | 200 | 2600 | 12 | 31200 |
| 6 | महाविद्यालय | 1 | 100 | 100 | 12 | 1200 |
| 7 | सरकारी अस्पताल | 2 | 1000 | 2000 | 12 | 24000 |
| 8 | रेस्टोरेंट | 9 | 1000 | 9000 | 12 | 108000 |
| 9 | ढाबा | 6 | 200 | 1200 | 12 | 14400 |
| 10 | बैंकट हाल + होटल | 4 | 1000 | 4000 | 12 | 48000 |
| 11 | बैंक | 9 | 1000 | 9000 | 12 | 108000 |
| 12 | सरकारी विद्यालय | 8 | 100 | 800 | 12 | 9600 |
| 13 | दवाईयों की दुकान | 47 | 200 | 9400 | 12 | 112800 |
| | | | | | कुल योग | 2505000 |

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2024 में घर-घर कूड़ा संग्रहण के रूप में वसूली गई राशि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

**(तालिका संख्या: 02)**

| क्रम संख्या | माह | वसूली गई राशि (₹) |
|---|---|---|
| 1 | अप्रैल/2023 | 126900 |
| 2 | मई/2023 | 119050 |
| 3 | जून/2023 | 130100 |
| 4 | जुलाई/2023 | 135950 |
| 5 | अगस्त/2023 | 127750 |
| 6 | सितम्बर/2023 | 123350 |
| 7 | अक्टूबर/2023 | 113100 |
| 8 | नवम्बर/2023 | 121450 |
| 9 | दिसम्बर/2023 | 117600 |
| 10 | जनवरी/2024 | 110200 |
| 11 | फ़रवरी/2024 | 115100 |
| 12 | मार्च/2024 | 106500 |
| | **कुल योग** | **1447050** |

दिनांक 31.03.2023 को घर-घर कूड़ा संग्रहण के रूप में ₹11,23,990.00 वसूली योग्य शेष थे तथा अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक के दौरान घर-घर कूड़ा संग्रहण के रूप में ₹25,05,000.00 **(तालिका संख्या: 01 के अनुसार)** वसूली योग्य था, लेकिन नगर पंचायत द्वारा अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक कुल **₹14,47,050.00 (तालिका संख्या: 02 के अनुसार)** की ही वसूली की थी एवं इस प्रकार कुल राशि ₹21,81,940.00 (11,23,990.00 +25,05,000.00-14,47,050.00) की कम वसूली हुई है, जिसका पूर्ण विवरण यथा सलग्न परिशिष्ट-**"च"** में भी दिया गया है। अतः उक्त अवधि के दौरान घर-घर कूड़ा संग्रहण के रूप में ₹21,81,940.00 की कम वसूली का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**(II)** नगर पंचायत द्वारा घर-घर कूड़ा कचरा संग्रहण से संबंधित अभिलेख जैसे कि माँग व संग्रहण रजिस्टर का रख-रखाव भी नहीं किया गया है जिस कारण इस बात की पुष्टि संभव नहीं है कि नगर पंचायत द्वारा किस उपभोक्ता से कितने उपयोक्ता प्रभारों की वसूली की गई है व कितनी शेष है। अतः इस महत्वपूर्ण अभिलेख का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अविलंब इसका अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

यह प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML/2025-07 दिनांक 15.01.2025 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या: न.प.अम्ब/ 165 दिनांक 21.01.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे करवाया जा रहा है ताकि घरों, सरकारी संस्थानों व व्यवसायिक संस्थानों की वास्तविकता का पता लग सके तत्पश्चात उस आधार पर मांग व वसूली की लेजर तैयार करके सम्वन्धित व्यक्ति या संस्थान से शेष राशि वसूल करके अनुपालना अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाएगी | अतः उक्त राशि की वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(iii) घर-घर कूड़ा संग्रहण की प्राप्त राशि ₹150 को कम जमा करवाना ।**

अंकेक्षण के दौरान आय के चयनित माह की आय की जांच करने पर पाया गया कि स्वयं सहायता समूह द्वारा प्राप्त घर-घर कूड़ा संग्रहण के उपयोक्ता प्रभार की प्राप्त राशि में से निम्न विवरणानुसार कम राशि नगर पंचायत कार्यालय में जमा करवाई गई है |

| क्रम संख्या | डोर टू डोर रसीद संख्या | प्राप्त की गई राशि (₹) | जमा करवाई गई राशि (₹) | कम जमा करवाई गई राशि (₹) | जी.08 संख्या/दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 439/43801से 43900 | 5300 | 5250 | 50 | 72/37 |
| 2 | 441/41802 से 41900 | 5600 | 5500 | 100 | 73/06 |
| | | | कुल योग | 150 | |

उक्त अनियमितता हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML/2025-02 दिनांक 14.01.25 के प्रत्युतर में सचिव ने पत्र संख्या:न.प.अम्ब/158 दिनांक 21.01.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि स्वंयम सहायता समूह से वसूली कर के जमा करवा दिया जायेगा|

अतः उक्त राशि को नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए |

**14. 5 वें व 6 वें राज्य वित आयोग निधि से ₹65.26 लाख का अनियमित व्यय/निकासी बारे :-**

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि हेतु अनुदानों से किये गये व्यय का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा यथा सलंग्न **परिशिष्ट-"छ"** में वर्णित अनुदानों से ₹65,25,654.00 का व्यय सम्बन्धित अनुदानों से न करके 5 वें व 6 वें राज्य वित आयोग निधि से किया गया जोकि उक्त निधि से सम्बन्धित नहीं था | इस प्रकार अनियमित रूप से अन्य निधियों से सम्बन्धित व्यय को 5 वें व 6 वें राज्य वित आयोग निधियों से करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए |

यह प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML/2025-16 दिनांक 17.01.2025 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या: न.प.अम्ब/ 137 दिनांक 21.01.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि क्रम संख्या 1 व 4 कार्य जोकि उपायुक्त महोदय की निधि से राशि वितरित होनी थी उसको अन्य मद से कर दिया था तथा अन्य कार्य 2,3,5 से 27 क्रम कार्यों को निदेशक शहरी विभाग के पत्र संख्या UD-H(C)(10)-2/202SFC Awards 9761-9823 दिनांक 13.06.23 के दिशा-निर्देशों से व नगर पंचायत अम्ब की बैठक में प्रस्तावित प्रस्तावों के अनुसार करवाया गया है | जहाँ तक क्रम संख्या: 1 व 4 राशि का सम्बन्ध है उसे SFC अनुदान से निकाल कर, उपयुक्त मद जोकि राशि ₹295966 बनती है उस मद में जमा करवा दिया जाएगा | उतर संतोषजनक नहीं है |

अतः उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में परामर्श दिया जाता है कि अनुदानों से सम्बन्धित व्यय सम्बन्धित अनुदान से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि अमुक अनुदान की सही वितीय स्थिति का आंकलन, शेष एवं वास्तविक व्यय बारे जानकारी ज्ञात हो सके |

**15. विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों को ₹7384 का अधिक भुगतान :-**

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित व्यक्तियों/फर्मों को कुल ₹7384 का अधिक भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली सम्बन्धित/उचित स्रोत से करके नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए |

| क्रम संख्या | व्यय वाउचर संख्या | दिनांक | व्यक्ति/फर्म का नाम | व्यय की प्रकृति | देय राशि (₹) | भुगतान की गई राशि (₹) | अधिक भुगतान की गई राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 116 | 07.07.23 | श्री रमण कुमार सचिव | यात्रा भाता बिल | 9296 | 9184 | 112 |
| 02 | 136 | 15.07.23 | श्री सचिन कुमार | कूड़ा उठाने का बिल | 124800 | 124150 | 650 |
| 03 | 150 | 28.07.23 | मै० जसवाल स्टील वर्क्स, अम्ब | ट्री गार्ड का क्रय | 25650 | 30150 | 4500 |
| 04 | 404 | 20.01.24 | श्री सचिन कुमार | निर्माण कार्य का बिल | 102378 | 104500 | 2122 |
| | | | | | | कुल योग | 7384 |

यह प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML/2025-24 दिनांक 20.01.2025 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ लाया गया था, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या: न.प.अम्ब/156 दिनांक 21.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों से ₹7384 की वसूली कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा | अतः उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित से करके नगर पंचायत निधि में जमा करवाकर कृत कार्यवाही से इस विभाग को आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए |

**16 प्रधानमन्त्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ₹0.65 लाख का अधिक भुगतान:-**

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक प्रधानमन्त्री आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को स्वीकृत मकानों हेतु समय-समय पर किस्तों का भुगतान किया गया था, लेकिन निम्नलिखित प्रकरणों में कुल ₹65000 का अधिक भुगतान किया गया है |

| क्रम संख्या | लाभार्थी का नाम | वार्ड संख्या | ID | भुगतान की तिथि | स्वीकृत राशि (₹) | भुगतान की गई राशि (₹) | अधिक भुगतान की राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री सुरजीत कुमार सु० श्री कश्मीर सिंह | 01 | 302018198455209785 | 06.01.24 | 185000 | 235000 | 50000 |
| 2 | श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री प्रीतम चंद | 08 | 302018198455247941 | 06.1.24 | 185000 | 200000 | 15000 |
| | | | | | | Total | 65000 |

यह प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML/2025-13 दिनांक 16.01.2025 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या: न.प.अम्ब/156 दिनांक 21.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विभिन्न व्यक्तियों से वसूली कर जमा करवा दिया जायेगा |

अतः उपरोक्त वास्तविक अधिक भुगतान की राशि तथा उस पर भुगतान की तिथि से अद्यतन देय ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से करके नगर पंचायत में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

**16.1.प्रधानमन्त्री आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि ₹87.90 लाख का रोकड़ बही में इन्द्राज न करना :-**

सचिव, नगर पंचायत अम्ब द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रधानमन्त्री आवास योजना / हाउस फॉर ऑल के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को ₹8790000 का भुगतान किया गया था। लेकिन उक्त भुगतानों को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था। प्रधानमन्त्री आवास योजना / हाउस फॉर ऑल के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को किए गये भुगतानों को रोकड़ बही में इन्द्राज न करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

यह प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML/2025-14 दिनांक 17.01.25 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या: न.प.अम्ब/145 दिनांक 21.01.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रधानमन्त्री मंत्री आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि ₹87.90 लाख की रोकड़ बही का इन्द्राज भविष्य में कर दिया जाएगा |

अतः प्रधानमन्त्री मंत्री आवास योजना के अंतर्गत किए गये भुगतानों को रोकड़ बही में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रधानमन्त्री मंत्री आवास योजना के अंतर्गत किए गये

भुगतानों का रोकड़ बही में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाए जाए।

**17. समाचार पत्रों में विज्ञापन हेतु 15% एजेंसी छूट न प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप ₹0.19 लाख की वितीय हानि।**

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: 2006/01-15 Pub 92-14263 दिनांक 30.08.2006 व पत्र संख्या 1-PR-H (F)-4(APP)/2013 में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त विभागों, बोर्ड व कारपोरेशन द्वारा सभी प्रकार के विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से छपवाए जाने आवश्यक हैं। DAVP सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार व विभिन्न समाचार पत्रों के प्रकाशकों के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार सभी सरकारी संस्थान विभिन्न विज्ञापन हेतु अनुबंधित प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर पर 15% की छूट लेने हेतु योग्य है। अंकेक्षण के दौरान पड़ताल में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा जो विज्ञापनों हेतु भुगतान अनुबंधित दरो पर किया गया उन पर 15 % की छूट प्राप्त नही की गयी है, जिस कारण नगर पंचायत द्वारा विज्ञापन लोक संपर्क विभाग के माध्यम से न करने के कारण ₹18956 का अधिक भुगतान किया गया है। जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

| क्रम संख्या | समाचार पत्र का नाम | विज्ञापन की तिथि | बिल संख्या | दिनांक | राशि (₹) | 15% की दर से छूट की राशि (₹) | भुगतान की गयी राशि (GST सहित) (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दैनिक भास्कर | 27.04.23 | AD2302000427 | 27.04.23 | 4762.00 | 714.30 | 5000 |
| 2 | हिमाचल दस्तक | 27.04.23 | 2/2324/04/703 | 27.04.23 | 4928.00 | 739.20 | 5174 |
| 3 | टाइम ऑफ़ इंडिया | 19.04.23 | 655 | 18.04.23 | 5644.00 | 846.60 | 5644h |
| 4 | दैनिक जागरण | 27.04.23 | JK2304012755 | 27.04.23 | 4879.00 | 731.85 | 5123 |
| 5 | टाइम ऑफ़ इंडिया | 27.07.23 | 657 | 26.07.23 | 5950.00 | 892.50 | 5950 |
| 6 | रणजय भारत सेक्युलर | 29.03.22 | 152 | 12.03.22 | 9512.80 | 1426.92 | 9512.80 |
| 7 | रणजय भारत सेक्युलर | 29.03.22 | 152 | 12.03.22 | 6617.60 | 992.64 | 6617.60 |
| 8 | अमर उजाला | 10.11.23 | HP-1-2324-08986 | 09.11.23 | 6399.00 | 959.85 | 6719 |
| 9 | दैनिक जागरण | 25.11.23 | JK2311011802 | 25.11.23 | 4760.000 | 701.00 | 4998 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | दैनिक भास्कर | 12.11.23 | AD2302003328 | 12.11.23 | 4762.00 | 714.30 | 5000 |
| 11 | आपका फैसला | 12.11.23 | 59826 | 12.11.23 | 5000.00 | 750.00 | 5000 |
| 12 | अमर उजाला | 16.12.23 | HP-1-2324-10609 | 16.12.23 | 4653.00 | 697.95 | 4886 |
| 13 | अमर उजाला | 16.12.23 | HP-1-2324-10610 | 16.12.23 | 6399.000 | 959.85 | 6719 |
| 14 | हिमाचल एक्सप्रेस | 14.11.23 | HP-01010 | 14.11.23 | 5000.00 | 750.00 | 5000 |
| 15 | हिम मानस | 02.01.24 | 154 | 02.01.24 | 5000.00 | 750.00 | 5000 |
| 16 | दैनिक भास्कर | 13.12.23 | 2302003740 | 13.12.23 | 6000.00 | 900.00 | 6300 |
| 17 | अमर उजाला | 16.01.24 | HP-1-2324-11710 | 17.1.24 | 2895.20 | 434.28 | 3039 |
| 18 | अमर उजाला | 14.01.24 | HP-1-2324-11710 | 17.1.24 | 3412.80 | 511.92 | 3583 |
| 19 | दैनिक सवेरा | 09.12.23 | JA-23-578852 | 12.12.23 | 2000.00 | 300.00 | 2000 |
| 20 | दैनिक जागरण | 10.12.23 | JK2312003448 | 10.12.23 | 1897.00 | 284.55 | 1992 |
| 21 | अमर उजाला | 24.01.24 | HP-1-2324-11986 | 23.01.24 | 3412.80 | 511.92 | 3583 |
| 22 | अमर उजाला | 25.01.24 | HP-1-2324-12474 | 24.01.24 | 3412.80 | 511.92 | 3583 |
| 23 | पंजाब केसरी | 15.01.24 | 243 | 15.1.24 | 2700.00 | 405.00 | 2816 |
| 24 | अमर उजाला | 10.02.24 | HP-1-2324-12910 | 09.02.24 | 3412.80 | 511.92 | 3583 |
| 25 | अमर उजाला | 27.02.24 | HP-1-2324-13620 | 27.02.24 | 5119.20 | 767.88 | 5375 |
| 26 | अमर उजाला | 01.03.24 | HP-1-2324-14002 | 29.02.24 | 5119.20 | 767.88 | 5375 |
| 27 | आपका फैसला | 14.03.24 | 60479 | 14.03.24 | 2815.00 | 422.25 | 2815 |
| | | | कुल योग | | | 18956.48 | |

यह प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML/2024-25 -391दिनांक 26.12.24 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या: न.प.अम्ब/147 दिनांक 21.01.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक जो भी विज्ञापन दिया गया है उसकी अदायगी DAVP रेटस के आधार पर की गई है | जिसकी प्रतिलिपि आगामी सूचना हेतु आपके कार्यालय को प्रेषित है | उतर संतोषजनक नहीं है | अतः भविष्य में विज्ञापन सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से प्रकाशित करवाया जाएँ व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

**स्थापना:-**

**18. श्री राकेश कान्त शर्मा कनिष्ठ अभियंता के अनियमित वेतन निर्धारण के कारण ₹0.39 लाख का अधिक भुगतान :-**

अंकेक्षण के दौरान वेतन बिलों के अवलोकन पर पाया गया कि श्री राकेश कान्त शर्मा, कनिष्ठ अभियंता को वेतन संशोधन नियम 2022 का लाभ जारी करते समय अनियमित रूप से अधिक वेतन निर्धारण किया गया था | वेतन बिलों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त को गलत वेतन निर्धारण के आधार पर ही भुगतान किया गया था| यद्यपि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित की सेवा पंजिका उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अंकेक्षण द्वारा पूर्व अंकेक्षण के दौरान यह आपति दर्ज की गई थी जिसका पूर्ण विवरण अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/2020 से 03/2023 के पैरा संख्या 11.1 में दिया गया है | अनियमित रूप से अधिक वेतन निर्धारण करने के परिणामस्वरूप उक्त कर्मचारी को कुल ₹39284 का अधिक भुगतान किया गया है | जिसका पूर्ण विवरण यथा सलंग्न **परिशिष्ट-"ज"** में दिया गया है |

| क्रम संख्या | विवरण | दिनांक | निर्धारित किया गया वेतन | अपेक्षित वेतन निर्धारण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वार्षिक वेतन वृद्धि | 01.04.2022 | Level 12 Cell 23=84900 | Level 13 Cell 19=78600 |
| 2 | वार्षिक वेतन वृद्धि | 01.04.2023 | Level 12 Cell 23=87400 | Level 13 Cell 19=81000 |

यह प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML/2024-25 -22 दिनांक 20.01.25 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या: न.प.अम्ब/162 दिनांक 21.01.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि श्री राकेश कान्त शर्मा, कनिष्ठ अभियंता से वसूली हेतु पत्राचार किया जा रहा है | अतः उक्त अधिक किये गये भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

**19. (क) शराब शुल्क ₹ 3.02 लाख की मांग व प्राप्ति से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना :-**

हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या:ULB-HC(9)-28/96 दिनांक 01.11.1999 के प्रावधान अनुसार नगर पंचायत की सीमा के भीतर बेची गई शराब की बोतलों पर एक रुपया प्रति बोतल की दर से आबकारी एवम कराधान विभाग हि. प्र. द्वारा मदिरा उपकर वसूल करके सम्बन्धित नगर पंचायत को भुगतान किया जाना अपेक्षित है। अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत के गठन के पश्चात निम्न वर्णित अवधि में निम्न विवरणानुसार कुल ₹302265 की राशि उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी कार्यालय ऊना से मदिरा शुल्क के रूप में प्राप्त हुई थी:-

| क्रम संख्या | पत्र संख्या | अवधि | प्राप्त राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 01 | EXN-Una-Excise -346 दिनांक 18.01.21 | 01.01.21 से 31.03.21 | 102029 |
| 02 | EXN-Una-Excise -5715 दिनांक 16.07.22 | 01.04.21 से 30.11.21 | 200236 |
| | | कुल राशि | 302265 |

अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML/2024-25 -389 दिनांक 21.12.24 द्वारा शराब शुल्क से सबंधित मांगी गई सूचना के सन्दर्भ में सचिव द्वारा पत्र संख्या न.प.अम्ब/149 दिनांक 21.01.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 से करने हेतु सम्बन्धित विभाग से पत्राचार किया जा रहा है | उतर संतोषजनक नहीं है | नगर पंचायत द्वारा अवधि 30.11.2021 तक बेचीं गई शराब की बोतलों पर ही शराब शुल्क प्राप्त किया है | अतः उक्त अवधि के पश्चात नगर पंचायत परिक्षेत्र में विक्रय की गई शराब पर मदिरा शुल्क प्राप्त कर अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाएं |

**(ख) शराब उप कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार न करना:**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत अम्ब द्वारा स्वतः स्पष्ट शराब उप-कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया | उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी कार्यालय ऊना हिमाचल प्रदेश से वर्ष अनुसार शराब उपकर की कितनी राशि प्राप्त की जानी अपेक्षित थी, कितनी राशि प्राप्त की गई है व कितनी राशि मार्च 2024 तक लेनी शेष है। अतः स्वतः स्पष्ट शराब उप कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर शीघ्र तैयार किया जाए व रजिस्टर में वर्ष अनुसार शराब उप कर की मांग

एवं प्राप्ति का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**20. (क) विद्युत उप-कर की वसूली न करना:-**

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल. एस. जी. –(डी) (1)-9/94 दिनांक 28.2.1999 व हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर परिषद द्वारा, नगर परिषद के क्षेत्र की परिधि में खर्च होने वाली बिजली पर प्रति यूनिट एक पैसा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से वसूल किया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक के लिए विद्युत उप-कर की वसूली विद्युत विभाग से नहीं की गई है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए|

अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML/2024-25 -388 दिनांक 21.12.24 द्वारा विद्युत उप कर से सबंधित मागी गई सूचना के सन्दर्भ में सचिव द्वारा पत्र संख्या न.प.अम्ब/150 दिनांक 21.01.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 से विद्युत उप कर प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभाग से पत्राचार किया जा रहा है| अतः सम्बन्धित विभाग से पत्राचार करके विद्युत उप कर की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए|

**(ख) विद्युत उप-कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार न करना :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत अम्ब द्वारा स्वतः स्पष्ट विद्युत उप-कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से वर्ष 01.04.2023 से 31.03.2024 तक विद्युत उप-कर के रूप में कितनी राशि हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से प्राप्त की जानी अपेक्षित थी, कितनी राशि प्राप्त की गई है व कितनी राशि मार्च 2024 तक विद्युत बोर्ड से लेनी शेष है। अतः स्वतः स्पष्ट विद्युत उप-कर मांग एवं प्रप्ति रजिस्टर शीघ्र तैयार किया जाए व रजिस्टर में वर्ष अनुसार विद्युत उप-कर की मांग एवं प्राप्ति का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**निर्माण कार्य:-**

**21. निर्माण कार्यो को पांच लाख से कम भागों में बांटने के कारण ऑनलाइन ई- टेंडरिंग प्रक्रिया न अपना कर राशि ₹25.75 लाख का अनियमित भुगतान :-**

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल नियम 2010 के नियम 3(1) के प्रावधानानुसार नगर पालिका को केवल पांच लाख तक के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकार है तथा

नियम 4(2) के प्रावधानानुसार कनिष्ठ अभियंता को केवल तीन लाख व सहायक अभियन्ता को दस लाख तक के निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकार है। प्रधान सचिव (शहरी विकास) हि० प्र० सरकार के पत्र संख्या: यू०डी०-जी ०(6)-1/2021-1240 दिनांक 16.06.2021 द्वारा एक लाख से बढा कर पांच लाख के निर्माण कार्य हेतु ऑनलाइन ई-टेंडरिंग प्रक्रिया अपनाकर निष्पादित किया जाना अपेक्षित था लेकिन अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य बिलों के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा एक ही प्रकृति के कार्य को छोटे-छोटे भागों में बाँट कर उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए ऑफलाइन टेंडर प्रक्रिया अपनाकर कुल **₹2575461** का अनियमित भुगतान किया गया है। निम्न वर्णित निर्माण कार्य को पांच लाख से कम भागों में बांटकर ऑनलाइन ई-टेंडरिंग प्रक्रिया, सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति से बचने/टालने (Avoid) के उद्देश्य से किया गया है व ऐसे में किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

| क्रम संख्या | माह | कार्य का नाम | संविदाकार का नाम | अवार्ड पत्र संख्या | भुगतान की गई राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/2023 | Installation of Street light at Ward No. 01 N P Amb | श्री किशोरी लाल | NP Amb/Award Letter/2022-1175-78 dated 01.10.22 (awarded amount 402212) | 442433 |
| 2 | 04/2023 | Installation of Street light Nehrian Road N P Amb | मै० तरुण इंटरप्राइजेज | NP Amb/Award Letter/2022-1199-1202 dated 01.10.22 | 433544 |
| 3 | 04/2023 | Installation of Street light at Ward No. 05 N P Amb | मै० तरुण इंटरप्राइजेज | NP Amb/Award Letter/2022-1193-1196 dated 01.10.22 | 380086 |
| 4 | 04/2023 | Installation of Street light at Ward No. 06 N P Amb | श्री कुशल कुमार | NP Amb/Award Letter/2022-1187-1190 dated 01.10.22 | 436930 |
| 5 | 04/2023 | Installation of Street light at Ward No. 08 N P Amb | श्री वरुण रतन | NP Amb/Award Letter/2022-1179-1182 dated 01.10.22 | 415721 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10/2023 | Installation of street light on Amb Mubarikpur road NP Amb | मै० तरुण इंटरप्राइ+जेज | NP Amb/ Award Letter /2023-378 dated 20.05.23 | 466747 |
| | | | | **योग** | **2575461** |

इसके अतिरिक्त उक्त कार्य हेतु एक ही टेंडर ऑनलाइन ई- टेंडरिंग आमंत्रित करके निष्पादित किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि कुल 6 कार्यों में से 5 कार्यों को कार्य आदेश एक ही दिनांक 01.10.2022 को देकर आबंटित किया गया है | जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

यह प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML/2025-17 दिनांक 17.01.2025 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या: न.प.अम्ब/139 दिनांक 21.01.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि क्रम संख्या 1 से 6 तक कार्य शहर के विभिन्न वार्डों में नगर पंचायत के बजट के अनुसार करवाए गए है | जहाँ तक यह कार्य हुए थे उन समस्त कार्यों की निविदाएँ समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित की गई है | यह समस्त कार्य विभिन्न वार्डों में करवाए गए हैं | ये समस्त कार्य बिजली के स्ट्रीट लाइटो से सम्बन्धित थे और अलग-अलग वार्डों में होने थे इसलिए इन का कार्य भी अलग-अलग लगाया गया था | उतर संतोषजनक नहीं है |

अतः इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 22. संविदाकारों को ₹0.63 लाख का अधिक भुगतान :-

अंकेक्षण अवधि 04/2020 से 03/2024 के दौरान नगर पंचायत द्वारा करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों में विभिन्न विसंगतियां पाई गई है तथा संविदाकारों को ₹ 63194 का अधिक भुगतान किया गया है। जिसका पूर्ण विवरण यथा सलंग्न **परिशिष्ट- "झ"** में दिया गया है | इन भुगतानों को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा निम्न वर्णित राशियों की वसूली उचित स्रोत्त से की जानी सुनिश्चित की जाए।

निर्धारित मानको के अनुसार CC Inter Lock Paver Tiles के प्रकरण में CC Inter Lock Paver Tiles को मजबूती प्रदान किए जाने के लिए CC Inter Lock Paver Tiles के दोनों तरफ CC 1:2:4 की लेयर डाली जाती हैं जिससे CC Inter Lock Paver Tiles को दोनों तरफ से पकड़ मिल सके । इस प्रकार जिस मात्रा के लिए CC 1:2:4 निष्पादित की जायेगी वहाँ पर CC Inter Lock

Paver Tiles नहीं लगाई जायेगी । निर्माण कार्य में CC 1:2:4 की निष्पादित कार्य मात्रा को CC Inter Lock Paver Tiles की निष्पादित कार्य प्रमात्रा मे से कम करके, CC Inter Lock Paver Tiles की मात्रा का भुगतान संविदाकार को किया जाना अपेक्षित था किन्तु निम्न वर्णित निर्माण कार्य के बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद i.e. "P/L CC 1:2:4 in foundation and plinth including carriage of material upto all lead & lifts " जिस मात्रा में निष्पादित की गई थी उसी मात्रा के लिए अनुबन्ध की मद i.e P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block vibro compacted grade with 60 mm thick cement mortar (1:4) का भी भुगतान किया गया था जो कि तय मानकों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः % इस प्रकार संविदाकार को परिशिष्ट में वर्णित विवरणानुसार अनुबन्ध की मद i.e P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver blocks 60 mm हेतु अधिक भुगतान किया गया।

यह प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML/2025-05 दिनांक 14.01.2025 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या: न.प.अम्ब/152 दिनांक 21.01.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उपरोक्त बिलों की जांच दोबारा से करके और उपरोक्त राशि वसूल करके अनुपालना अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी | अतः वर्णित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत्त से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

**23 निर्माण कार्य के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना :-**

हमारे प्राकृतिक संसाधनों व सीमित मात्रा में उपलब्ध खनिजों के संरक्षण एवं दोहन हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर नियम तथा निर्देश जारी किये गये हैं। इसी कारण इनके अवैध खनन तथा प्रयोग के विरूद्ध दण्ड का प्रावधान भी है । किसी भी निर्माण कार्य में प्रयोग किये जा रहे क्षुद्र खनिजों जैसे रेत, बजरी, पत्थर, मिट्टी, ईंट इत्यादि का उत्खनन किसी वैध स्त्रोत से किया गया है अथवा नहीं इसके प्रमाण के रूप में वैध खदान/क्रशर लाईसैंस धारक द्वारा हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग (भूगर्भीय शाखा) {Himachal Pradesh Department of Industries – Geoligical Wing} द्वारा जारी Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 के नियम 77 व 79 के अनुसार फॉर्म "डब्ल्यू" (ट्रान्जिट पास) तथा फॉर्म "ऐक्स" (सप्लीमैन्ट्री ट्रान्जिट पास) {Form "W" ( Transit Pass) and Form "X" (Supplementary Transit Pass)} जारी किये जाते हैं।

सरकारी राजस्व के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में सरकार द्वारा वैज्ञानिक तरीके से किये गये वैध खनन के लिये रॉयल्टी वसूल की जाती है जिसकी दरें उक्त नियमों की दूसरी अनुसूची में प्रतिपादित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त क्षुद्र खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिये वर्णित नियमों के अध्याय 7- PREVENTION OF ILLEGAL MINING, STORAGE AND TRANSPORTATION OF MINERALS के नियम 71 व 72 में दण्ड का प्रावधान भी किया गया है।

यदि यह क्षुद्र खनिज सरकार द्वारा अनुमोदित खदान अथवा क्रशर से खरीदे गये हैं तो इनके लिये देय रॉयल्टी सरकार को जमा करवाने का दायित्व प्रयोगकर्ता के स्थान पर खदान अथवा क्रशर के लाईसैंसधारक का होता है जिसके लिये फॉर्म-डब्ल्यू व ऐक्स जारी किये जाते हैं। यदि उपयोगकर्ता के पास उक्त फॉर्म उपलब्ध नहीं हैं तो इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि प्रयोग किये जा रहे क्षुद्र खनिज अवैध स्त्रोत से प्राप्त किये गये हैं।

परन्तु वर्तमान अंकेक्षण में पाया गया है कि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षणावधि में निष्पादित निर्माण कार्यों में प्रयोग किये गये क्षुद्र खनिजों को वैध स्त्रोत से उत्खनन किये जाने के प्रमाण के रूप में बिलों के साथ फॉर्म "डब्ल्यू" तथा फॉर्म "ऐक्स"- संलग्न नही किये गये हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य की सामग्री का अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि माननीय हि०प्र० उच्च न्यायालय द्वारा CWP संख्या 2395/2020 दिनांक 16.07.2020 में यह स्पष्ट निर्देश दिये गए है कि शुद्र खनिजों की आपूर्ति में सम्बन्धित विभाग संविदाकारों के बिलों को बिना 'X' व 'W' फॉर्म प्राप्त बिना भुगतान न करें। अतः परिशिष्ट-**"ञ"** में दर्शाए गए मामलों में बिना 'X' या 'W' फॉर्म प्राप्त किए बिना किया गया भुगतान अनुचित है तथा तरफ इससे सरकारी कोष को रॉयल्टी के रूप में होने वाली आय की भी निश्चित रूप से हानि हुई है।

अतः यह मामला उच्चाधिकारियों तथा सचिव की जानकारी में इस आशय से लाया जाता है ताकि हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग (भूगर्भीय शाखा) के अधिकारियों के साथ चर्चा उपरान्त इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करवाई जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त निष्पादित निर्माण कार्यों में प्रयोग किये गये क्षुद्र खनिजों को यदि वैध स्त्रोत से उत्खनन किया होता तो रॉयल्टी के रूप में यथा सलंग्न **परिशिष्ट-"ञ"** में उल्लेखित ₹**102022** की राशि सरकारी कोष में आय के रूप में प्राप्त हो सकती थी जिस बारे सरकारी नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः HPSAD/AC/SML-2025-04 दिनाँकः 14.01.25 द्वारा सचिव नगर पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रत्युतर में पत्र संख्याःन.प.अम्ब/153 दिनांक 21.01.25 द्वारा अवगत करवाया गया कि उपरोक्त बिलों की जांच दोबारा से करके और उपरोक्त राशि वसूल करके अनुपालना अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी। अतः इन सब बिलों से काटी जाने वाली अपेक्षित रॉयल्टी की राशि की गणना व वसूली करके उद्योग विभाग के अधिकारियों से चर्चा उपरान्त अपेक्षित कार्रवाई अमल मे लाई जाए तथा भविष्य में डब्ल्यू तथा फॉर्म ऐक्स की पुष्टि उपरान्त ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

**24. गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान करना :-**

अंकेक्षण अवधि में चयनित माह के निर्माण कार्यों के बिलों के अवलोकन पर पाया गया कि निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं में गल्त गणना करने के कारण संविदाकारों को कुल ₹6299.00 का अधिक भुगतान किया गया है, जिस का पूर्ण विवरण यथा सलंग्न **परिशिष्ट-"ट"** में दिया गया है।

यह प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML/2025-03 दिनांक 14.01.2025 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या: न.प.अम्ब/148 दिनांक 21.01.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उपरोक्त राशि सम्बन्धित ठेकेदार से वसूल करके अनुपालना अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

अतः उक्त वर्णित ठेकेदारों से उन के नामों के विरुद्ध दर्शाई गयी राशियों की वसूली की जानी सुनिश्चित किया जाये व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

**25 माप पुस्तिका में कार्य आरम्भ व समापन की प्रविष्टियाँ दर्ज न करना :-**

नगर पंचायत द्वारा वितीय वर्ष 2023-24 के चयनित माह में निम्नलिखित निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा इन कार्यों को संविदाकारों द्वारा समय पर पूर्ण न करने पर पेनल्टी का प्रावधान किया गया था लेकिन माप पुस्तिकाओं में कार्य आरम्भ व कार्य समापन की प्रविष्टियाँ ही दर्ज नहीं की गई थी। जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। यदि संविदाकारों द्वारा कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया गया है तो ऐसी अवस्था में आवंटन पत्र की शर्तों अनुसार देय दण्ड शुल्क का निर्धारण नहीं किया जा सका। माप पुस्तिकाओं में जिन कार्यों के आरम्भ व समापन की तिथियाँ दर्ज नहीं की गई हैं, का विवरण निम्नलिखित है:-

| Sr. No. | Name of work | Name of Contractor | Stipulated time for completion | Penality as per agreement for late completion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P/F 60 mm thick paver block from Kalruhi road towards Mahila Mandal Bhawan at Ward No. 05 (MB 05 Page 50 to 53) | Sh Surinder Kumar | 60 days | Sr.No. 3 of award letter No. NP Amb/831-36 dated 11.07.22 ₹1000 per day subject to maximum ₹350000 |
| 2 | C/o RCC Slab culvert near the house of Kalu Master towards the house of Mr. Sheru upto Chowk (MB 05 Page 21 to 33) | Sh Sahil Thakur | 60 days | Sr.No. 3 of award letter No. NP Amb/789-794 dated 11.07.22 ₹1000 per day subject to maximum ₹350000 |
| 3 | P/F 60 mm thick CC interlock tiles near the house of Sh Gopal Krishan towards house of Sh Kishore Rai and Asgar Ali at Ward No 03. | Sh Pawan Kumar | 60 days | Sr.No. 3 of award letter No. NP Amb/798-800 dated 11.07.22 ₹1000 per day subject to maximum ₹350000 |

अतः उक्त कार्यों की आरम्भ व समापन तिथियों का आगामी अंकेक्षण में सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा परामर्श दिया जाता है कि भविष्य इस प्रकार की पुनरावृति पर अंकुश लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए|

**26 (i) ₹4.43 लाख के बिजली के सामान के क्रय में पाई गई अनियमितताओं के सन्दर्भ में**

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि व्यय वाउचर संख्या 261 दिनांक 18.10.2023 द्वारा मै० शर्मा लाइट हाउस, मेन बाज़ार, हमीरपुर से 25 ट्यूबलर पोल (8 मीटर) तथा 25 एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट 70 वाटस को क्रय करके निम्न विवरणानुसार कुल ₹442500 का व्यय किया गया है|

| **क्रम संख्या** | **सामान का विवरण** | **मात्रा** | **दर** | **मूल्य (₹)** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ट्यूबलर पोल (8 मीटर) | 25 | 10850 | 271250 |
| 2 | एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट 70 वाटस | 25 | 6850 | 171250 |
| | | | योग | ` 442500 |

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाउचरों की जांच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ हैं जिनका निराकरण किया जाए|

(A) हिमाचल प्रदेश वितीय नियमावली 2009 में दिए गये प्रावधानों के अंतर्गत ₹100000 से अधिक की खरीद पर टेंडर आमंत्रित किये जाने का प्रावधान है | जबकि नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त ₹442500 के ट्यूबलर पोल (8 मीटर) तथा एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट 70 वाटस की खरीद के लिए न तो टेंडर आमंत्रित लिए गये थे और न ही निविदाएँ आमंत्रित की गई थी | बल्कि नगर पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 47 दिनांक 12.05.2022 पारित करके यह निर्णय लिया गया कि यदि उक्त फर्म पुराने रेट पर पोल देने को तैयार है तो अगले चरण हेतु पोल उसी फर्म से ले लिए जाएं | व्यय वाउचर के साथ पुराने तुलनात्मक रेट भी सलग्न नहीं किये गये है | जोकि अनियमित है | अतः उक्त ट्यूबलर पोल (8 मीटर) तथा एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट 70 वाटस की आपूर्ति नियमानुसार न तो टेंडर आमंत्रित करके और न ही निविदा आमंत्रित करके क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए |

(B) उपरोक्त उल्लेखित ट्यूबलर पोल (8 मीटर) तथा एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट 70 वाटस का क्रय सरकार द्वारा निर्धारित दर संविदा प्राप्त फर्म से न करके स्थानीय बाज़ार से किया गया है जबकि उक्त ट्यूबलर पोल तथा एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइटो का क्रय सरकार द्वारा "दर संविदा" प्राप्त फर्म से किया जाना अपेक्षित था | अतः उक्त सामान का क्रय दर संविदा प्राप्त फर्म से न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दर संविदा प्राप्त फर्म की दरों की तुलना क्रय दरों से करने उपरान्त किसी भी अधिक एवं गलत भुगतान की अवस्था में सम्पूर्ण राशि की वसूली उतरदायित्व निर्धारित करने उपरान्त सम्बन्धित उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए |

यह प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML/2024-25 -23 दिनांक 20.01.25 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या: न.प.अम्ब/168 दिनांक 21.01.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि 4.43 लाख के बिजली के सामान के क्रय में पाई गई अनियमितताओं बारे भविष्य में अनुपालना की जाएगी | अतः उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा तुलनात्मक दरों के विशलेषण उपरान्त अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए |

**(ii) सोलर लाइट्स की मुरम्मत हेतु ₹253920 के भुगतान के सन्दर्भ में :-**

व्यय वाउचर संख्या 227 दिनांक 26.09.2023 द्वारा मै० स्वस्तिक इलेक्ट्रिकल्स अम्ब, जिला ऊना को नगर पंचायत परिक्षेत्र में स्थापित 48 सोलर लाइट्स की मुरम्मत के एवज में ₹253920 का भुगतान किया गया है | जिसकी प्रविष्टि माप पुस्तिका संख्या 06 के पृष्ठ संख्या 82 से 85 पर की गई

है | उक्त कार्य हेतु न तो टेंडर आमंत्रित लिए गये थे और न ही निविदाएँ आमंत्रित की गई थी | जोकि अनियमित है तथा ऐसे मामले में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML/2024-25 -23 दिनांक 20.01.25 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया गया| अतः उक्त सोलर लाइट्स की मुरम्मत का कार्य नियमानुसार न तो टेंडर आमंत्रित करके और न ही निविदा आमंत्रित करके करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्रोत से की जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए |

**27. प्रशासनिक अनुमोदन के बगैर राशि ₹5335186 के निर्माण कार्यों का निष्पादन :-**

उप सचिव, शहरी विकास विभाग, शिमला -02, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: यू० डी० – ए० (3) 5/2007 दिनांक 10-03-2010 के नियम 2(3) के अनुसार नगर पालिका ₹5 लाख तक के कार्यों के प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने हेतु सक्षम है व ₹5 लाख से अधिक के कार्यों हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य था। लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत अम्ब, जिला ऊना द्वारा वितीय वर्ष 2023-24 के दौरान राशि ₹5 लाख से अधिक के कार्यों हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के बगैर किया गया है। जोकि अनियमित है। निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किए बिना करवाए गए, राशि ₹53,35,186.00 के कार्यों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

| **क्र. सं.** | **वितीय वर्ष** | **कार्य का नाम** | **अनुमानित लागत (₹)** |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-24 | P/F 60 mm thick CC interlock tiles from main road to Meena Beauty Parlour at Ward No. 02 N P Amb | 778226 |
| 2 | 2023-24 | C/ RCC slab culvert near the house of Kalu Master towards the house of Sehru at Ward No. 04 | 953844 |
| 3 | 2023-24 | C/o Street from Khad towards the house of Sukh Chain and Sukh Chain to Mamta house at Ward No. 09 | 969352 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 2023-24 | P/F 60 mm thick CC interlock tiles from main road to Mahaluxmi Hardware towards the house of Sh Gopal Krishan at Ward No. 03 | 930968 |
| 5 | 2023-24 | P/F 60 mm thick CC interlock tiles near the house of Sh Gopal Krishan towards house of Sh Kishore Rai and Asgar Ali at Ward No 03. | 951525 |
| 6 | 2023-24 | P/F 60 mm thick CC interlock tiles back side of Senior Secondary School to Bhartahari temple at Ward No. 02 | 751271 |
| | | **Total** | **5335186** |

यह प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML/2025-19 दिनांक 20.01.25 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या: न.प.अम्ब/135 दिनांक 20.01.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में अनुपालना की जाएगी तथा सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन करवाकर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा | अत: वितीय वर्ष 2023-24 के दौरान राशि ₹5 लाख से अधिक के कार्यों हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व राशि ₹53,35,186.00 के कार्यों का प्रशासनिक अनुमोदन निदेशक, शहरी विकास विभाग से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**28 सफाई कार्य हेतु श्री सोनू, सफाई ठेकेदार को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के रूप में ₹1.08 लाख का अनुचित भुगतान :-**

भारत के सविधान के 12 वें अनुसूची के आर्टिकल 243 W के अनुसार सफाई का कार्य GST के अधीन नहीं आता है व भारत सरकार के वित मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या: 12/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के अनुसार सफाई के कार्य पर वस्तु एवं सेवाकर की छूट प्राप्त है। अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार श्री सोनू कुमार, सफाई ठेकेदार को अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक ₹107794 का वस्तु एवं सेवाकर का भुगतान किया गया है जोकि अनियमित है। यद्यपि नगर पंचायत द्वारा सफाई ठेकेदार की बिलों से स्त्रोत पर वस्तु एवं सेवाकर की कटौती करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवा दिया है,

जबकि उपरोक्त प्रावधान एवं अधिसूचना के अनुसार सफाई कार्य पर वस्तु एवं सेवाकर की छूट प्राप्त है।

| 1. नगर पंचायत के परिक्षेत्र की सफाई का कार्य। | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्रम संख्या | व्यय वाउचर संख्या/दिनांक | भुगतान की गई राशि (वस्तु एवं सेवाकर सहित) (₹) | वस्तु एवं सेवाकर की राशि (₹) | भुगतान की जाने वाली राशि (वस्तु एवं सेवाकर रहित) (₹) |
| 1 | **15/05.04.23** | **76500** | **1530** | **74970** |
| 2 | **16/05.04.23** | **76500** | **1530** | **74970** |
| 3 | **17/05.04.23** | **76500** | **1530** | **74970** |
| 4 | **18/05.04.23** | **76500** | **1530** | **74970** |
| 5 | **19/05.04.23** | **51000** | **1020** | **49980** |
| 6 | **20/05.04.23** | **25500** | **510** | **24990** |
| 7 | **56/10.05.23** | **76500** | **1530** | **74970** |
| 8 | **57/10.05.23** | **76500** | **1530** | **74970** |
| 9 | **58/10.05.23** | **76500** | **1530** | **74970** |
| 10 | **59/10.05.23** | **76500** | **1530** | **74970** |
| 11 | **60/10.05.23** | **25500** | **510** | **24990** |
| 12 | **61/10.05.23** | **51000** | **1020** | **49980** |
| 13 | **95/08.06.23** | **25500** | **510** | **24990** |
| 14 | **94/08.06.23** | **51000** | **1020** | **49980** |
| 15 | **90/08.06.23** | **76500** | **1530** | **74970** |
| 16 | **91/08.06.23** | **76500** | **1530** | **74970** |
| 17 | **92/08.06.23** | **76500** | **1530** | **74970** |
| 18 | **93/08.06.23** | **76500** | **1530** | **74970** |
| 19 | **139/15.07.23** | **407715 (w.e.f. 06/23)** | **8154** | **399561** |
| 20 | **168/16.08.23** | **478374** | **9568** | **468806** |
| 21 | **215/16.09.23** | **477888** | **9558** | **468330** |
| 22 | **239/06.10.23** | **479664** | **9594** | **470070** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | **269/02.11.23** | **479664** | **9594** | **470070** |
| 24 | **327/08.12.23** | **479664** | **9594** | **470070** |
| 25 | **384/08.01.21** | **479664** | **9594** | **470070** |
| 26 | **417/08.02.24** | **479664** | **9594** | **470070** |
| 27 | **458/02.03.24** | **479664** | **9594** | **470070** |
| | | **कुल योग** | **107794** | |

यह प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML/2025-06 दिनांक 14.01.25 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या: न.प.अम्ब/151 दिनांक 21.01.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि वस्तु एवं सेवाकर राशि जोकि सफाई ठेकेदार की बनती है उस बिल के ऊपर काटी गई है जोकि सम्बन्धित ठेकेदार के GST संख्या से जमा करवा दी गई है और सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अपने GST नंबर से वह इस राशि की रिकवरी भी कर सकता है | अतः नगर पंचायत द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार को किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि प्रदान नहीं की गई है | उतर संतोषजनक नहीं है| अतः वस्तु एवं सेवाकर के रूप में अधिक भुगतान की गई राशि ₹107794/-की उचित स्त्रोत से वसूल कर के नगर पंचायत निधि में जमा किया जाए व भविष्य में नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

**29 स्त्रोत पर काटी गई वैधानिक कटौतियां ₹0.94 लाख को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाना**

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा समय-समय पर फर्मों/संविदाकारों के बिलों से स्त्रोत पर नियमानुसार आयकर व वस्तु एवं सेवाकर की कटौती की गई थी तथा इन कटौतियों की राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाने हेतु मै० कुमार अमन कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान किया गया था | लेकिन निम्न विवरणानुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा कुल ₹94193 की राशि को सम्बन्धित विभागों में जमा नहीं करवाया गया है | ऐसी अवस्था में दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता |

| क्रम संख्या | व्यय वाउचर संख्या | दिनांक | स्त्रोत पर काटे गए वस्तु एवं सेवाकर की राशि (₹) | स्त्रोत पर काटे गए आयकर की राशि (₹) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 05.04.23 | 0 | 85417 | नगर पंचायत के पत्र संख्या न.प. अम्ब-229 दिनांक 05.04.23 द्वारा मै० कुमार अमन |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | कंपनी ऊना को उनके बैंक खाता संख्या: 2066201001127 में हंस्तान्तरित। जमा करवाए गए कर की पावती/चालान व्यय वाउचर में सलंग्न नहीं। |
| 2 | **55** | **10.05.23** | **7650** | 0 | नगर पंचायत के पत्र संख्या न.प. अम्ब-321 दिनांक 10.05.23 द्वारा मै० कुमार अमन कंपनी ऊना को उनके बैंक खाता संख्या: 2066201001127 में **₹57470** हंस्तान्तरित किये गये थे लेकिन **₹49820** का ही चालान सलंग्न है। |
| 3 | **238** | **06.10.23** | 200 | 0 | नगर पंचायत के पत्र संख्या न.प. अम्ब-827 दिनांक 06.10.23 द्वारा मै० कुमार अमन कंपनी ऊना को उनके बैंक खाता संख्या: 2066201001127 में **₹29970** हंस्तान्तरित किये गये थे लेकिन **₹29770** का ही चालान सलंग्न है। |
| 4 | **379** | **05.01.24** | 0 | **926** | नगर पंचायत के पत्र संख्या न.प. अम्ब-16 दिनांक 05.10.24 द्वारा मै० कुमार अमन कंपनी ऊना को उनके बैंक खाता संख्या: 2066201001127 में **₹50725** हंस्तान्तरित किये गये थे लेकिन **₹926 Education Cess की** राशि को जमा नहीं करवाया गया है। का ही चालान सलंग्न है। |
| | | कुल राशि | 7850 | 86343 | |

(7850+86343=94193)

यह प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML/2025-08 दिनांक 15.01.25 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या: न.प.अम्ब/159 दिनांक 21.01.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि नगर पंचायत द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट से पत्राचार किया जा रहा है जैसे ही उसके द्वारा चालान व्यय वाउचर प्राप्त होते है तो आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर दिये जायंगे। अतः जमा करवाई गई राशि के सम्बन्धित चालान आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाए अन्यथा उक्त राशि को सम्बन्धित से वसूल करके सम्बन्धित विभागों में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में वैधानिक कटौतियों से सम्बन्धित राशि को नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर पर जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए क्योंकि यह आहरण एवं संवितरण अधिकारी का कर्तव्य है व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**30 स्त्रोत पर काटी गई वैधानिक कटौतियों ₹3.15 लाख को सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाना:-**

अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: HPSAD/AC/SML-2024-25 387 दिनांक 21.12.24 के माध्यम से अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2024 में विभिन्न फर्मों/संविदाकारों से उनके बिलों के भुगतान से स्त्रोत पर काटे गये वस्तु एवं सेवाकर, आयकर व श्रम उपकर व इन करों को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाने बारे सूचना मांगी गयी थी जिसके प्रत्युतर में सचिव नगर पंचायत ने पत्र संख्या न.प.अम्ब/119 दिनांक 17.01.25 द्वारा अवगत करवाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्त्रोत पर काटे गये वस्तु एवं सेवाकर, आयकर व श्रम उपकर की राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया गया है तथा कुछ राशि निम्न विवरणानुसार जमा करवाने हेतु शेष है:-

**I) वस्तु एवं सेवाकर**

| वित्तीय वर्ष | देय वस्तु एवं सेवाकर (₹) | जमा करवाया गया वस्तु एवं सेवाकर (₹) | जमा करवाने हेतु शेष वस्तु एवं सेवाकर (₹) |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | **370306** | **311980** | **58326** |
| कुल योग | **370306** | **311980** | **58326** |

**II) श्रम उपकर**

| वित्तीय वर्ष | देय श्रम उपकर (₹) | जमा करवाया गया श्रम उपकर (₹) | जमा करवाने हेतु शेष श्रम उपकर (₹) |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | **200755** | 0 | **200755** |
| **कुल योग** | **200755** | 0 | **200755** |

**III) आयकर**

| वित्तीय वर्ष | देय आय कर (₹) | जमा करवाया गया आय कर (₹) | जमा करवाने हेतु शेष आय कर (₹) |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | **226014** | **169633** | **56381** |
| कुल योग | **226014** | **169633** | **56381** |

अतः शेष वैधनिक कटौतियों की बकाया राशि को सम्बन्धित विभागों में अविलम्ब जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निकट भविष्य में यदि सम्बन्धित विभागों द्वारा की गई वैधानिक कटौतियों को जमा न करवाने के एवज में कोई जुर्माना अथवा शुल्क/ब्याज लगाता है तो ऐसे मामले में आहरण एवं संवितरण अधिकारी निजि तौर पर जिम्मेवार होगा।

**31. स्थापना जांच रजिस्टर तैयार न करना :-**

जांच के दौरान पाया गया कि नगर अम्ब द्वारा स्थापना जांच रजिस्टर को तैयार नहीं किया गया है। जिसके अभाव में गत वर्षों में विभिन्न कर्मचारियों को वेतन के रूप में भुगतान की जा रही राशियों की सत्यापना संभव नहीं हो सकी। स्थापना जांच रजिस्टर तैयार न करना एक गम्भीर वितीय अनियमितता है जिसके अभाव में गत वर्षों में प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक माह किये गए वेतन भुगतान की जांच संभव नहीं है। अतः स्थापना जांच रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अंकेक्षण अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक का प्रत्येक कर्मचारी का स्थापना जांच रजिस्टर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। अतः नगर परिषद उक्त अभिलेख को अविलम्ब तैयार करवाना सुनिश्चित करे।

**32. नगर परिषद द्वारा अति आवश्यक अभिलेख का रख-रखाव न करना**

नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया है

| | |
|---|---|
| 1 | चिकित्सा दावा बिल जाँच रजिस्टर |
| 2 | अग्रिम रजिस्टर |
| 3 | यात्रा भत्ता बिल रजिस्टर |
| 4 | संविदाकार वही |
| 5 | अनुदान रजिस्टर |
| 6 | मानदेय रजिस्टर, भविष्य निधि रजिस्टर |
| 7 | वैधानिक कटौतियों का रजिस्टर |
| 8 | आवर्ती व्यय रजिस्टर |

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंट कोड 1975 के अनुसार उपरोक्त उल्लेखित अतिआवश्यक अभिलेख तैयार करना अनिवार्य है लेकिन नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान का उपरोक्त उल्लेखित कोई भी रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है जिसके कारण स्पष्ट किए

जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

33 **भण्डार का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन न करना :-**

अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत के विभिन्न भण्डार रजिस्टरों में दर्ज सामान का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जा रहा था जबकि हिमाचल प्रदेश वितीय नियमावली 2009 के नियम 140 के अनुसार भण्डार में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः उपरोक्त वर्णित नियमों की अनुपालना में भण्डार का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा नियमानुसार अविलम्ब भंडार का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन करने के साथ साथ भविष्य में भी वार्षिक भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

34. **लघु आपति विवरणी:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु सभी लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान स्थल पर ही निपटारा कर दिया था।

35. **निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में सुधार की एवं गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लंबित अंकेक्षण पैरों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान चलाने की नितांत आवश्यकता है।

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
दूरभाष 0177–2626670

29 MAR 2025 का०/प्रति
–1869 – 1891

पृष्ठांकन संख्या :– फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(5)120/24 खण्ड–1 दिनांकः शिमला–171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा संख्याः 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला–04 (हि0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित है।

**पंजीकृत :** 3 सचिव, नगर पंचायत अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.

का०/प्रति

**परिशिष्ट –"क"** **(पैरा 1- ग में संदर्भित)**

नगर पंचायत अम्ब, जिला ऊना के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों की सूची निम्नलिखित है :-

| अंकेक्षण एवं **निरीक्षण** प्रतिवेदन अवधि 10/2020 से 3/2023 | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा- 3 | निर्णीत | अंकेक्षण शुल्क ₹34000 बैंक ड्राफ्ट संख्या:018205 दिनांक 12.04.2024 (सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया) के माध्यम से निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० को प्रेषित किये जाने के दृष्टिगत । |
| 2 | पैरा -4.1 | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा -4.2 | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा-4.3 | निर्णीत | वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने पर निर्णीत। |
| 5 | पैरा -5 | निर्णीत | पेंशन व ग्रेच्युटी निधि की रोकड़ बही का अनुरक्षण किये जाने के दृष्टिगत । |
| 6 | पैरा -6 (क) | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 (क) में दर्शाई गयी है। |
| 7 | पैरा -6 (ख) | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8(ख) में दर्शाई गयी है। |
| 8 | पैरा -6 (ग) | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा -6 (घ) | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा -7 | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा -8 | अनिर्णीत | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | पैरा -9 | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 में दर्शाई गयी है। |
| 13 | पैरा -10 | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 9 में दर्शाई गयी है। |
| 14 | पैरा -10.1 | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 17(क) में दर्शाई गयी है। |
| 15 | पैरा -10.2 | अनिर्णीत | |
| 16 | पैरा -10.3 | अनिर्णीत | |
| 17 | पैरा -10.4 | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 13 में दर्शाई गयी है। |
| 18 | पैरा -10.5 | अनिर्णीत | |
| 19 | पैरा -11.1 | अनिर्णीत | |
| 20 | पैरा -11.2 | अनिर्णीत | |
| 21 | पैरा-11.3 | अनिर्णीत | |
| 22 | पैरा-12 | अनिर्णीत | |
| 23 | पैरा -13.1 | अनिर्णीत | |
| 24 | पैरा -13.2 | अनिर्णीत | |
| 25 | पैरा -14.1 | अनिर्णीत | |
| 26 | पैरा -14.2 | अनिर्णीत | |
| 27 | पैरा -14.3 | अनिर्णीत | |
| 28 | पैरा -14.4.1 | निर्णीत | स्वतः निर्णीत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | पैरा -14.4.2 | निर्णीत | स्वतः निर्णीत |
| 29 | पैरा -14.4.3 | निर्णीत | स्वतः निर्णीत |
| 30 | पैरा -14.4.4 | निर्णीत | स्वतः निर्णीत |
| 31 | पैरा -14.5 | अनिर्णीत | |
| 32 | पैरा -14.6 | अनिर्णीत | |
| 33 | पैरा -15(i) | अनिर्णीत | |
| 34 | पैरा-15(ii) | अनिर्णीत | |
| 35 | पैरा-15(iii) | अनिर्णीत | |
| 36 | पैरा -15(iv) | अनिर्णीत | |

| | |
|---|---|
| **अनिर्णीत पैरों का सार** | |
| **दिनांक 31.03.2023 तक अनिर्णीत पैरों की संख्या (उप पैरों सहित)** | **36** |
| **वर्तमान अवधि में लगाए गए पैरों की संख्या** | **32** |
| **वर्तमान अवधि में निर्णीत किए गए पैरों की संख्या (उप पैरों सहित) (-)** | **13** |
| **दिनांक 31.03.2024 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष (उप पैरों सहित)** | **55** |

परिशिष्ट – "ख" सन्दर्भित पैरा संख्या : 5(क)

| Financial Position of Nagar Panchayat Amb, Distt Una for the year 2023-2024 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Year 2023-24** | **Opening Balance** | **Receipt during the year** | **Interest during the year** | **Total** | **Expenditure during the year** | **Closing balance** |
| **Own Source** | **4890419.91** | **2784237.00** | **1750496.00** | **9425152.91** | **4496984.58** | **4928168.33** |
| **Grant-in-aid** | **49419291.50** | **31560476.00** | **0** | **80979767.50** | **23523841.62** | **57455925.88** |
| **Total** | **54309711.41** | **34344713.00** | **1750496.00** | **90404920.41** | **28020826.20** | **62384094.21** |

Secretary
Nagar Panchayat

| BANK BALANCES AS ON 31.03.2024 IN R/O NAGAR PANCHAYAT AMB, DISTT.UNA | | | |
|---|---|---|---|
| Sr No. | Name of the Bank | Account No | Amount |
| 1. | Central Bank of India Amb | 5135961589 | 229135.48 |
| 2. | Central Bank of India Amb | 5111957934 | 5871.90 |
| 3. | Punjab National Bank Amb | 3992000100169846 | 33534096.00 |
| 4. | Punjab National Bank Amb | 3992000100170657 | 1599741.50 |
| 5. | Punjab National Bank Amb | 3992000100170408 | 2436496.50 |
| 6. | Canara Bank Amb | 110035956514 | 3003140.00 |
| 7. | HDFC Amb | 50100465329016 | 103371.38 |
| 8. | HDFC Amb | 50100490189607 | 7917764.30 |
| 9. | HDFC Amb | 50100464287122 | 0.00 |
| 10. | HDFC Amb | 50100463303500 | 2.00 |
| 11. | HDFC Amb | 50100464286589 | 13601075.15 |
| | | Total | 62430694.21 |

Secretary
Nagar Panchayat Amb
Distt. Una (H.P.)

**Bank Reconciliation Statement of N.P Amb, Distt Una as on 31.03.2024**

| | Particulars | | | Amount |
|---|---|---|---|---|
| | Balance a per Cash Book as on 31.03.2024 | | | **62384094.21** |
| Add | Cheque issued but not presented for payment till 31.03.02024. | | | |
| | Cheque No. | Date | Amount | |
| 1 | RTGS of Rs 75175 send to Bank but debited by Bank Rs 57312 (75157-57312=17845 | 21.09.2021 | 17845.00 | |
| 2 | 264249 | 23.07.2021 | 3000.00 | |
| 3 | RTGS Returned | 21.09.2021 | 2000.00 | |
| 4 | RTGS of Rs 52740 send to Bank but debited by Bank Rs 46578 (52740-46578)=6162 | 16.08.2021 | 6162.00 | |
| 5 | RTGS of Rs 34500 send to Bank but debited by Bank Rs 32000 (34500-32000)=2500 | 07.02.2022 | 2500.00 | |
| 6 | 285931 | 14.02.2022 | 840.00 | |
| 7 | 286435 | 24.02.2022 | 1000.00 | |
| 8 | 286426 | 07.02.2022 | 850.00 | |
| 9 | 286438 | 24.02.2022 | 1817.00 | |
| 10 | Amount Paid to Amar Ujala through RTGS not debited by bank till 31st March 2024 | 15.03.2024 | 5375.00 | |
| 11 | Amount Paid to Amar Ujala through RTGS not debited by bank till 31st March 2024 | 15.03.2024 | 5375.00 | |
| 12 | Excess Cash deposited into Bank | 19.06.2023 | 40.00 | **46804.00** |
| Less | Short Deposit in Bank | | 4.00 | |
| | Cash in Hand as on 31.03.02024 | 31.03.2024 | 200.00 | **204.00** |
| | Balance as per Pass Book | | --- | **62430694.21** |

Secretary
Nagar Panchayat
Amb, Una (H.P.)

परिशिष्ट - "ग" (handwritten correction over "ख")　　　संदर्भित पैरा संख्या: 5 (ख)

| Financial Position of Pension and Gratuity Fund in r/o N P Amb for the y ear 2023-24 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वितीय वर्ष | आरंभिक शेष (₹) | आय(₹) | ब्याज (₹) | कुल योग(₹) | व्यय (₹) | अंत शेष (₹) |
| 2023-24 | 00 | 781932.00 | 2667.00 | 784599.00 | 00 | ₹784599.00 |
| दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार अंतिम शेष | | | | | | ₹784599.00 |
| दिनांक 31.03.2024 को बैंक खातों में शेष जमा राशि | | | | | | ₹784599.00 |
| | | | | | | |
| (i) सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, खाता संख्या : 5533817601 | | | | ₹ 784599.00 | | |
| | | | | | कुल योग | ₹784599.00 |

वितीय स्थिति/ रोकड़ बही व बैंक खातों के दिनांक 31.03.2024 को अंत शेष में अंतर = शून्य

परिशिष्ट - "ख"　　　संदर्भित पैरा संख्या:

| Financial Position of PMAY in r/o N P Amb for the year 2023-24 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वितीय वर्ष | अथ शेष | आय | ब्याज | कुल जमा | व्यय | अंत शेष |
| 2023-24 | 0.00 | 8790000.00 | 0.00 | 8790000.00 | 8790000.00 | 0.00 |

**दिनांक 31.03.24को रोकड़ बही में अन्तिम शेष : ₹ 0.00**
**दिनांक 31.03.24 को बैंक खाते में शेष : ₹ 0.00 (खाता संख्या: 12550110043097, UCO Bank Una)**

**(NOTE:- Bank Account Maintained through PFMS (Online Mode)**

Secretary
Nagar Panchayat Amb
Distt. Una (H.P.)

परिशिष्ट - "ग"    संदर्भित पैरा संख्या: 5(ख)

| Financial Position of Pension and Gratuity Fund in r/o N P Amb for the y  ear 2023-24 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वितीय वर्ष | आरंभिक शेष (₹) | आय(₹) | ब्याज (₹) | कुल योग(₹) | व्यय (₹) | अंत शेष (₹) |
| 2023-24 | 00 | 781932.00 | 2667.00 | 784599.00 | 00 | ₹784599.00 |
| दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार अंतिम शेष | | | | | | ₹784599.00 |
| दिनांक 31.03.2024 को बैंक खातों में शेष जमा राशि | | | | | | ₹784599.00 |
| | | | | | | |
| (i) सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, खाता संख्या : 5533817601 | | | | ₹ 784599.00 | | |
| | | | | | कुल योग | ₹784599.00 |

वितीय स्थिति/ रोकड़ बही व बैंक खातों के दिनांक 31.03.2024 को अंत शेष में अंतर = शून्य

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
SDA Complex, Shimla-171009

45

परिशिष्ट-"घ"                    संदर्भित पैरा संख्या: 8(क)

| Financial Position of Grant in Aid of Nagar Panchayat Amb, Distt Una for the year 2023-2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| वितीय वर्ष | आरंभिक शेष (₹) | वर्ष के दौरान प्राप्त राशि | कुल योग (₹) | वर्ष के दौरान व्यय (₹) | अंत शेष (₹) |
| **2023-24** | **49419291.50** | **31560476.00** | **80979767.50** | **23523842.00** | **57455925.50** |
| योग | **49419291.50** | **31560476.00** | **80979767.50** | **23523842.00** | **57455925.50** |

Secretary
Nagar Panchayat Amb
Distt. Una (H.P.)

परिशिष्ट – "घ"    सन्दर्भित पैरा-संख्या : 8(२१) व(ग)

**Grant Wise Fund Flow Nagar Panchayat Amb 2023-2024**

| Sr. | Sanctioning Authority | Name of Head | Letter No | Purpose | Opening Balance | Grant Received | Total | Expenditure | Closing Balance | C.B.P. NO | Date of Credit | Utilization Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Shimla | 15th CFC | Mail Dated 6th April 2022 for Tied Grant | Tied Grant | 18459134.00 | | | | | 46,75 | | not Sent |
| | UD Shimla | 15th CFC | UD-H( C) (10)-1/2020-I-CFC -1594-1655 DT. 3 MAY 2023 | | | 6021 | | | | 86 | 05-04-2023 | |
| | | | UD-H( C) (10)-1/2020-I-CFC - 2420-2490 DT. 10 MAY | | | 4421687 | | | | 86 | 29-04-2023 | |
| | | | UD-H( C) (10)-3/2020-II-4895-956 DT. 13 MARCH 2024 | Tied Grant | | 4386573 | 27273415.00 | | 27273415.00 | Vol.-II P-51 | 07-03-2024 | not Sent |
| 2 | UD Shimla | 15th CFC | UD-H ( C) (10) -1/2020-I-CFC funds -43197-258 dated 14/11/2022,UD-H ( C) (10) -1/2020-I-CFC funds -42259-320 dated 14/11/2022, Mail Dated 6th April for Untied grant | Untied Grant | 10733720.00 | | | | | 30,46,54,75 | | not Sent |
| | UD Shimla | 15th CFC | UD-H( C) (10)-1/2020-I-CFC -1532-93 DT.3 MAY 2023 | | | 4014 | | | | 86 | 05-04-2023 | |
| | | | 2023 | | | 2947792 | | | | 86 | 29-04-2023 | |
| | | | 2024 | Untied Grant | | 2924414 | 16609940.00 | 7564924.00 | 9045016.00 | Vol.-II P-51 | 07-03-2024 | not Sent |
| 3 | UD Shimla | Office Renovation | fund received for Office Renovation Vide Letter NO. UD-HC-10-1/2020-18252-64 dated 25-07-2021 | | 21808.00 | | 21808.00 | | 21808.00 | NA | | Sent |
| 4 | UD Shimla | SBM-IEC/COVID-19 | UD-H ( C) (17) -3/2021-Covid-19 funds -11747-11810 dated 24/5/2021 | Dead Boby Burial/Martiyal | 75000.00 | | | | | NA | | not Sent |
| | UD Shimla | SBM-IEC/COVID-19 | Under SNA dt 30-11-2023 | Dead Boby Burial/Martiyal | | 88535.00 | 163535.00 | 88534.00 | 75001.00 | Vol-II P-26 | 30-11-2023 | not Sent |
| 5 | Shimla | 6th SFC Grant | UD-H(C.)(10)-1/2022 25021-25084 | 6th SFC Grant | 10985492.50 | | | | | 45,54 | | not Sent |
| | UD Shimla | 6th SFC Grant | UD-H( C)(10)-1/2023-SFC AWARDS-LOSSE-13931-13993 DT. 31 JULY 2023 | 6th SFC Grant | | 15939940.00 | 26925432.50 | 14246909.62 | 12678522.88 | Vol-II P-2 | 31-07-2023 | not Sent |
| 6 | UD Shimla | ULB-Maintainence | UD-H (F) Engg -cell-ulbs Roads -loose-25516-89/2 Dated 2/7/2022 | ULB-Maint. | 1073495.00 | | 1073495.00 | | 1073495.00 | NA | | not Sent |
| 7 | DTO una | Election Grant | | Election Grant | 3404.00 | | 3404.00 | | 3404.00 | NA | | not Sent |
| 8 | UD Shimla | Park | UD-H ( F 5/2016-3482-86 dated 01/04/2021 | Park | 1500000.00 | | 1500000.00 | 21876.00 | 1478124.00 | NA | | not Sent |
| 9 | DC Una | MMGPY | PLG-UNA (MMGPY)2021-22/1604-05 dated 07/02/22 | Road Maintainence | 315000.00 | | 315000.00 | | 315000.00 | NA | | not Sent |
| 10 | DC Una | Mahila mandal Bhawan | 5546-57 dated 21/2/2022 | Bhawan Construction | 200000.00 | | 200000.00 | | 200000.00 | NA | | not Sent |
| 11 | Others | other grants | Online/mail | Panchayat Grant Transfer | 2175325.00 | | 2175325.00 | | 2175325.00 | 37 | | not Sent |
| 12 | DC Una | DC/VKVNY-Chintpurni | Ack No 668 Dated 19-11-2022, PLG-UNA(VKVNY-CHINTPURNI/2022-101517 Dt. 29-09-2022,PLG-UNA(SDP-CHINTPURNI)2022-23/157-58 | Confrance Hall in Civil Hospital,Mahila Mandal & Press Club | 3876913.00 | | | | | 36,46,51,52,75 | | not Sent |
| | DC Una | DC/VKVNY-Chintpurni | PLG/UNA(SDP)-CHINTPURNI 2023-24/123-124 DT 20-05-2023 | Confrance Hall in Civil | | 250000.00 | | | | 92 | 25-03-2023 | not Sent |
| | | | Acctt./23-36302 dt. 18-09-23 | Hospital,Mahila Mandal & Press | | 93000.00 | 4219913.00 | 1601598.00 | 2618315.00 | Vol. -II P-12 | 15-09-2023 | |
| 13 | DC Una | Moksha Dham | | Renovation of Shamshan Ghat ward No. 3 | 0.00 | 498500.00 | 498500.00 | | 498500.00 | Vol-II P-51 | 11-03-2024 | not Sent |
| Total | | | | | 49419291.50 | 31560476.00 | 80979767.50 | 23523841.62 | 57455925.88 | | | |

47

Secretary
Nagar Panchayat Amb
Distt. Una (H.P.)

परिशिष्ट - "ङ" 		सन्दर्भित पैरा संख्या : 10(क)

**Outstanding Statements of Shop rent in respect of Nagar Panchayat Amb as on 31.03.2024.**

| Year | Opening Balance as on 27.10.20 (Date of incorporation 27.10.2020) | Demand during the year | Total | Collection during the year | Closing Balance as on 31st March |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 0 | 15600 | 15600 | 0 | 15600 |
| 2021-22 | 15600 | 31200 | 46800 | 22400 | 24400 |
| 2022-23 | 24400 | 31200 | 55600 | 33100 | 22500 |
| 2023-24 | 22500 | 31200 | 53700 | 35900 | 17800 |

Secretary
Nagar Panchayat Amb
Distt. Una (H.P.)

परिशिष्ट –"च"     संदर्भित पैरा संख्या:13

**Outstanding Statement of Door to Door Garbage Collection in respect of Nagar Panchayat Amb, Distt. Una as on 31.03.2024.**

| Year | Opening balance as on 01.04.2023 | Demand during the year | Total | Collection during the year 2023-24 | Closing balances as on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 1123990.00 | 2505000.00 | 3628990.00 | 1447050.00 | 2181940.00 |

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
SDA Complex, Shimla-171009

परिशिष्ट-" छ"  संदर्भित पैरा संख्या:14

## 5 वें व 6 वें राज्य वित आयोग निधि से अनियमित व्यय/निकासी का विवरण |

| क्रम संख्या | अनुदान का नाम जिस पर राशि व्यय की गई/कार्य का नाम | बैंक का नाम व खाता संख्या जिस में से राशि व्यय की गई | | 5 वें व 6 वें राज्य वित आयोग निधि से व्यय राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahila Mandal Bhawan (VKVNY) | HDFC Bank Amb A/c No 50100465329016 | 99892 |
| 2 | Installation of Street lights Ward No. 01 | HDFC Bank Amb A/c No 50100464286589 | 380361 |
| 3 | Installation of Street lights Nehrian road | -do- | 372720 |
| 4 | MLA Fund<br>(Dev. Of site for playground at Ward No. 01. | HDFC Bank Amb A/c No 50100465329016 | 196074 |
| 5 | C/o R/Wall & Breast wall near the house of Sh Chunnu Ram to Smt Sardaro Devi at Ward No.08 | HDFC Bank Amb A/c No 50100464286589 | 149191 |
| 6 | C/o 900 mm of RCC hume pipe culvert & Compoletionof road at Ward No. 09 | -do- | 358591 |
| 7 | C/o street in Ward No. 09 from Khad towards the h/o Sh Sukhchain to Mamta house | -do- | 530968 |
| 8 | P/F 60mm paver block near the h/o Smt Suman sood towards the h/o Sh Ashok kumar Ward No. 07. | -do- | 329554 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | C/o Breast wall in ward No. 02 near the h/o Dev Raj | -do- | 80525 |
| 10 | P/F 60 mm paver block back side of Sr Sd School at Ward No. 02 | -do- | 645867 |
| 11 | Installation of Street lights Mubarik pur road | -do- | 401264 |
| 12 | Tubelar poles 8 mt | -do- | 265662 |
| 13 | Street light poles | -do- | 167677 |
| 14 | Repair of Solar street lights | -do- | 248764 |
| 15 | Repair of drain Ward No.09 | -do- | 74890 |
| 16 | C/o Cross drain in Ward No. 06 | -do- | 56910 |
| 17 | C/o Cross drain in Ward No. 02 | -do- | 82575 |
| 18 | Purchase of street light | -do- | 192746 |
| 19 | C/o Cause way in Ward No. 08 | -do- | 31942 |
| 20 | C/o Toe wall a/w path lohar basti near the h/o Sh Puran Singh | -do- | 193320 |
| 21 | Removing of silt from drain nala in all wards | -do- | 104500 |
| 22 | C/o path from main path to near h/o Sh Kushal Singh at Ward No. 04. | -do- | 245734 |
| 23 | C/o Path near Govt. building to near khad nallah at ward No. 04 | -do- | 140549 |
| 24 | Repair of path leads to Employment exchange at Ward No. 04 | -do- | 35812 |
| 25 | C/o path near Shanti Swroop Cattle shed to Peer Baba at Ward No. 01 | -do- | 389746 |
| 26 | C/o R/wall near Park along khad Phase-I at Ward No. 09. | -do- | 392009 |
| 27 | Improvement of path Sudha Model School at Ward No. 09 | -do- | 357811 |
| | | **Total** | **6525654** |

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
SDA Complex, Shimla-171009

परिशिष्ट-"ज"                                                    संदर्भित पैरा संख्या: 18

श्री राकेश कान्त शर्मा, कनिष्ठ अभियंता के गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान का विवरण |

| Recovery Statement of Sh Rakesh Kant J.E now A.E w.e.f 01.04.2023 to 18.08.2023 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Due | | | | | Drawn | | | | | | | |
| Date | Basic Pay | Rate of D.A % | D.A | Total | Date | Basic Pay | Rate of D.A % | D.A | Total | Diff. | Month | Excess Amount paid |
| 01.04.23 to 30.06.23 | 81000 | 34% | 27540 | 108540 | 01.04.23 to 30.06.23 | 87400 | 34% | 29716 | 117116 | 8576 | 3 | 25728 |
| 01.07.23 to 31.07.23 | 81000 | 34% | 27540 | 108540 | 01.07.23 to 31.07.23 | 87400 | 34% | 29716 | 117116 | 8576 | 1 | 8576 |
| 01.08.23 to 18.08.23 | 81000 | 34% | 27540 | 108540 | 01.08.23 to 18.08.23 | 87400 | 34% | 29716 | 117116 | 8576 | 18 days | 4980 |
| Total | | | | | | | | | | | | 39284 |

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
SDA Complex, Shimla-171009

परिशिष्ट- "झ"　　　　　　　　　　　　　　　　　　संदर्भित पैरा संख्या: 22

## सविन्दकारों को अधिक भुगतान का विवरण |

1. अनुबन्ध की मद 9　i.e **"P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block 60MM thick"** की प्रमात्रा की गलत माप/गणना के कारण संविदाकार को ₹ 30376 का अधिक भुगतान:-

| | |
|---|---|
| निर्माण कार्य का नाम | **P/F 60 MM thick CC interlocking tiles near Meena Beauty Parlour at Ward No. 02 NP Amb** |
| संविदाकार का नाम | **Sh. Surinder Kumar** |
| चलित बिल | **1st and Final Bill** |
| **Abstract of Cost MB** | **05/44 to 49** |
| आबंटन पत्र संख्या | **NP Amb/ Award Letter2022-831-36 dated 11.07.2022** |
| वाऊचर संख्या & दिनांक & राशि | **130/11.07.2023 ₹469477/-** |

| **Detail of Items** | **Item No** | **Qty.** | **Rate (₹)** | **Total Amount (₹)** |
|---|---|---|---|---|
| Qty. of item No. 9 i.e P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block vibro compacted with 60 mm thick cement mortar (1:4) Executed & Paid up to 1st & Final bill as MB No. 05 Page.No. 46-47 | 9 | 463.49 $m^2$ | 749 per $m^2$ | 347154.00 |
| Qty. of item No. 4 i.e P/L CC 1:2:4 and curing complete excluding cost of form work in foundation and plinth for side packing of pavers Executed & paid up to 1st & Final Bill in MB No. P.No.47-48 | 4 | 11.71 m3 | | |
| Qty. of item No. 4 i.e P/L CC 1:2:4 for side packing that should be deducted from the Item No. 9 i.e P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block vibro packed grade before making the payment to the Contractor. **40.56 m2 (463.49 m2X0.0875) {0.10+0.075/2 =0.0875} (thickness taken 0.0875 mtr. for side packing)** | | 40.555 m2 | | |
| Net Qty. of Item No. 9 i.e P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block vibro packed to be Paid up to 1st and Final bill (463.49 m2 -40.555 $m^2$) | | 422.935 m2 | 749per $m^2$ | 316778.00 |
| Excess payment made to Contractor in respect Item No. 3 i.e P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block up to vibro packed 1st & final bill (40.555 m2 @ 749) | (347154.00-316778.00)= **30376** | | | **₹30376** |

2. अनुबन्ध की मद 9 i.e **"P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block 60MM thick"** की प्रमात्रा की गलत माप/गणना के कारण संविदाकार को ₹ **23516** का अधिक भुगतान:-

| | |
|---|---|
| निर्माण कार्य का नाम | **P/F 60 MM thick CC interlocking tiles from Kalruhi Chowk towards Mahila Mandal Bhawan upto main road Kutlehria house upto Chowk.** |
| संविदाकार का नाम | **Sh. Surinder Kumar** |
| चलित बिल | **1st and Final Bill** |
| **Abstract of Cost MB** | **05/50 to 53** |
| आबंटन पत्र संख्या | **NP Amb/ Award Letter2022-1059 dated 31.08.2022** |
| वाऊचर संख्या & दिनांक & राशि | **131/11.07.2023 ₹413515/-** |

| Detail of Items | Item No | Qty. | Rate (₹) | Total Amount (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Qty. of item No. 9 i.e P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block vibro compacted with 60 mm thick cement mortar (1:4) Executed & Paid up to 1st & Final bill as MB No. 05 Page.No. 53 | 9 | 449.20 $m^2$ | 698per $m^2$ | 313542.00 |
| Qty. of item No. 4 i.e P/L CC 1:2:4 and curing complete excluding cost of form work in foundation and plinth for side packing of pavers Executed & paid up to 1st & Final Bill in MB No. P.No.51-52 | 4 | 3.48 m3 | | |
| Qty. of item No. 4 i.e P/L CC 1:2:4 for side packing that should be deducted from the Item No. 9 i.e P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block vibro packed grade before making the payment to the Contractor. **33.69 m2 (449.20 m2X0.075) (thickness taken 0.075 mtr. for side packing)** | | 33.69 m2 | | |
| Net Qty. of Item No. 9 i.e P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block vibro packed to be Paid up to 1st and Final bill (449.20 m2 -33.69 $m^2$) | | 415.51 m2 | 698 per $m^2$ | 290026.00 |
| Excess payment made to Contractor in respect Item No. 3 i.e P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block up to vibro packed 1st & final bill (33.69 m2 @ 698) | (313542.00-290026.00)= **23516** | | | **₹23516** |

54

3. अनुबन्ध की मद 9 i.e **"P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block 60MM thick"** की प्रमात्रा की गलत माप/गणना के कारण संविदाकार को ₹ 9302 का अधिक भुगतान:-

| | |
|---|---|
| निर्माण कार्य का नाम | **C/o Pucca path from link road primary school Awadi Abdul Razzak and others at Ward No.07** |
| संविदाकार का नाम | **Sh. Surinder Kumar** |
| चलित बिल | **1st Bill** |
| **Abstract of Cost MB** | **06/90 to 93** |
| आबंटन पत्र संख्या | **NP Amb/ Award Letter2023-377 dated 20.05.2023** |
| वाऊचर संख्या & दिनांक & राशि | **220/25.09.2023 ₹206119/-** |

| Detail of Items | Item No | Qty. | Rate (₹) | Total Amount (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Qty. of item No. 3 i.e P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block vibro compacted with 60 mm thick cement mortar (1:4) Executed & Paid up to 1st bill as MB No. 06 Page.No. 92 | 3 | 121.62 $m^2$ | 765 per $m^2$ | 93039.00 |
| Qty. of item No. 4 i.e P/L CC 1:2:4 and curing complete excluding cost of form work in foundation and plinth for side packing of pavers Executed & paid up to 1st Bill in MB No. 6 P.No.92 | 4 | 2.25 m3 | | |
| Qty. of item No. 4 i.e P/L CC 1:2:4 for side packing that should be deducted from the Item No. 3 i.e P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block vibro packed grade before making the payment to the Contractor. **12.16 m2 (121.62 m2X0.10) (thickness taken 0.10 mtr. for side packing)** | | 12.16 m2 | | |
| Net Qty. of Item No. 3 i.e P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block vibro packed to be Paid up to 1st and Final bill (121.62 m2 -12.16 $m^2$) | | 109.46 m2 | 765per $m^2$ | 83737.00 |
| Excess payment made to Contractor in respect Item No. 3 i.e P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver block up to vibro packed 1st & final bill (12.16 m2 @ 765) | (93039.00-83737.00)= **9302** | | | **₹9302** |

(i) 30376 + (ii) 23516 + (iii) 9302 = 63194

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
SDA Complex, Shimla-171009

55

परिशिष्ट-"अ"                                                   संदर्भित पैरा संख्या: 23

## निर्माण कार्य के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने का विवरण |

| कार्य का नाम / योजना (A) | निष्पादित मद I | मद की मात्रा (D) | फैक्टर I | प्रयोग की गई रेत/ पत्थर (F) (D*E) | फैक्टर 1.62/ 2.24 (G) | मात्रा (मीट्रिक टन) (H) (F*G) | प्रयोग की गई बजरी (I) | फैक्टर (1.52) (J) | मात्रा (मीट्रिक टन) (K) (I*J) | कुल मात्रा (मीट्रिक टन) (L) (H+K) | रॉयल्टी की दर (प्रति मीट्रिक टन) (M) | कुल राशि (L*M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Development of site for playground at Ward No. 01 (MB 06 Page 65 to 67) | P/l cc 1:3:6 | 38.55 $m^3$ | 0.47 | 18.12 $m^3$ | 1.62 | 29.35 | 34.31 $m^3$ | 1.52 | 52.15 | | | |
| | | Total | | | | 29.35 | 34.31 $m^3$ | | 52.15 | 81.50 | 80 | 6520 |
| Development of Site for open air Gym at Water well at Ward No. 5 NP Amb (MB 06 Page 61 to 64) | P/l cc 1:5:10 | 7.29 $m^3$ | 0.47 | 3.43$m^3$ | 1.62 | 5.56 | 6.49 $m^3$ | 1.52 | 9.86 | | | |
| | P/l cc 1:3:6 | 41.77 $m^3$ | 0.47 | 19.63 $m^3$ | 1.62 | 31.80 | 37.18 $m^3$ | 1.52 | 56.51 | | | |
| | | Total | | | | 37.36 | 43.67 $m^3$ | | 66.37 | 103.73 | 80 | 8298 |
| C/o Shed at Moksh Dham NP Amb | P/l cc 1:5:10 | 5.74 $m^3$ | M forms attached | | | | 5.11 $m^3$ | 1.52 | 7.77 | | | |
| | P/l cc 1:1.5:3 | 8.36 $m^3$ | M forms attached | | | | 7.44 $m^3$ | 1.52 | 11.31 | | | |
| | P/l cc 1:4:8 | 23.31 $m^3$ | M forms attached | | | | 20.75 $m^3$ | 1.52 | 31.54 | | | |
| | | Total | | | | | 33.30 $m^3$ | | 50.62 | 50.62 Less 4.00= 46.62 MT. (X Forms attached | 80 | 3730 |
| C/o R/Wall/Breast Wall near the house of Sh Chunnu Ram and Smt Sardaro Devi at Ward No. 08 | P/l cc 1:5:10 | 2.16 $m^3$ | 0.47 | 1.02 $m^3$ | 1.62 | 1.65 | 1.92 $m^3$ | 1.52 | 2.92 | | | |
| | P/l cc 1:3:6 | 14.82 $m^3$ | 0.47 | 6.97$m^3$ | 1.62 | 11.29 | 13.19 $m^3$ | 1.52 | 20.05 | | | |
| | | Total | | | | 12.94 | 15.11 $m^3$ | | 22.97 | 35.91 | 80 | 2873 |
| P/F 60 MM thick CC interlocking tiles near Meensa Beauty Parlour at Ward No. 02 NP Amb | P/l cc 1:5:10 | 45.99 $m^3$ | 0.47 | 21.62 $m^3$ | 1.62 | 35.02 | 40.93 $m^3$ | 1.52 | 62.21 | | | |
| | P/l cc 1:2:4 | 11.71 $m^3$ | 0.445 | 5.21 $m^3$ | 1.62 | 8.44 | 10.42 $m^3$ | 1.52 | 15.84 | | | |
| | | Total | | | | 43.46 | 51.35 $m^3$ | | 78.05 | 121.51 | 80 | 9721 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/F 60 MM thick CC interlocking tiles from Kalruhi Chowk towards Mahila Mandal Bhawan upto main road Kutlehria house upto Chowk. | P/l cc 1:5:10 | 23.04 $m^3$ | 0.47 | 10.83 $m^3$ | 1.62 | 17.54 | 20.51 $m^3$ | 1.52 | 31.18 | | | |
| | P/l cc 1:2:4 | 3.48 $m^3$ | 0.445 | 1.55 $m^3$ | 1.62 | 2.51 | 3.10 $m^3$ | 1.52 | 4.71 | | | |
| | | Total | | | | 20.05 | 23.61 $m^3$ | | 35.89 | 55.94 Less 45=10.94 M.T (X Forms attached | 80 | 875 |
| C/o RCC slab culvert near the house of Kalu Master towards the house of Sehru in Ward No. 04.NP Amb | P/l cc 1:5:10 | 11.49 $m^3$ | 0.47 | 5.40 $m^3$ | 1.62 | 8.75 | 10.23 $m^3$ | 1.52 | 15.55 | | | |
| | P/l cc 1:3:6 | 26.80 $m^3$ | 0.47 | 12.60 $m^3$ | 1.62 | 20.41 | 23.85 $m^3$ | 1.52 | 36.25 | | | |
| | P/l cc 1:2:4 | 63.88 $m^3$ | 0.445 | 28.43 $m^3$ | 1.62 | 46.06 | 56.85 $m^3$ | 1.52 | 86.41 | | | |
| | | Total | | | | 75.22 | 90.93 $m^3$ | | 138.21 | 213.43 Less108= 105.43 M.T(X Forms attached) | 80 | 8434 |
| C/o Street from Khad towards the h/o Sh Sukh Chain to Mamta house at Ward No. 09. | P/l cc 1:5:10 | 62.75 $m^3$ | 0.47 | 29.49 $m^3$ | 1.62 | 47.77 | 55.85 $m^3$ | 1.52 | 84.89 | | | |
| | P/l cc 1:2:4 | 3.47 $m^3$ | 0.445 | 1.54 $m^3$ | 1.62 | 2.49 | 3.09 $m^3$ | 1.52 | 4.70 | | | |
| | | Total | | | | 50.26 | 58.94$m^3$ | | 89.59 | 139.85 | 80 | 11188 |
| P/F 60 MM thick CC interlocking tiles near main road Mahaluxmi Hardware towards the house of Sh Gopal Krishan at Ward No. 03 NP Amb | P/l cc 1:5:10 | 88.35 $m^3$ | 0.47 | 41.52 $m^3$ | 1.62 | 67.26 | 78.63 $m^3$ | 1.52 | 119.52 | | | |
| | P/l cc 1:2:4 | 5.73 $m^3$ | 0.445 | 2.55 $m^3$ | 1.62 | 4.13 | 5.10 $m^3$ | 1.52 | 7.75 | | | |
| | | Total | | | | 71.39 | 83.73 $m^3$ | | 127.27 | 198.66 | 80 | 15893 |
| P/F 60 MM thick CC interlocking tiles near house of Sh Gopal Krishan mtowards house of Sh Kishore Rai and Asgar Ali at Ward No. 03 NP Amb | P/l cc 1:5:10 | 79.18 $m^3$ | 0.47 | 37.21 $m^3$ | 1.62 | 60.28 | 70.47 $m^3$ | 1.52 | 107.11 | | | |
| | P/l cc 1:2:4 | 4.74 $m^3$ | 0.445 | 2.11 $m^3$ | 1.62 | 3.42 | 4.22 $m^3$ | 1.52 | 6.41 | | | |
| | | Total | | | | 63.70 | 74.69 $m^3$ | | 113.52 | 177.22 Less 90=87.22 M.T (X Forms attached) | 80 | 6978 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/o extra room near Community Centre Adarsh Nagar Heera Nagar | Boulder | 4.81 $m^3$ | 2.24 | | | 10.77 | | | | | | |
| | P/l cc 1:4:8 | 3.21 $m^3$ | 0.47 | 1.51 $m^3$ | 1.62 | 2.45 | 2.86 $m^3$ | 1.52 | 4.35 | | | |
| | P/l cc 1:2:4 | 6.18 $m^3$ | 0.445 | 2.75 $m^3$ | 1.62 | 4.46 | 5.50 $m^3$ | 1.52 | 8.36 | 30.39 | 80 | 2431 |
| | | Total | | | | 17.68 | 8.36 $m^3$ | | 12.71 | | | |
| C/o Pucca path from link road primary school Awadi Abduk Razzak and others at Ward No.07 | P/l cc 1:5:10 | 14.51 $m^3$ | 0.47 | 6.82 $m^3$ | 1.62 | 11.05 | 12.91 $m^3$ | 1.52 | 19.62 | 35.33 | 80 | 2826 |
| | P/l cc 1:2:4 | 2.25 $m^3$ | 0.445 | 1.00 $m^3$ | 1.62 | 1.62 | 2.00 $m^3$ | 1.52 | 3.04 | | | |
| | | Total | | | | 12.67 | 14.91 $m^3$ | | 22.66 | | | |
| P/F 60 mm thick CC interlock tiles near the house of Smt Suman Soosd towards thehouse of Sh Ashok Kumar at Ward No. 07. | P/l cc 1:5:10 | 25.04 $m^3$ | 0.47 | 11.77 $m^3$ | 1.62 | 19.07 | 22.29 $m^3$ | 1.52 | 33.88 | 78.40 Le21=57.40 M.T (X Forms attached | 80 | 4592 |
| | P/l cc 1:2:4 | 12.27 $m^3$ | 0.445 | 5.46 $m^3$ | 1.62 | 8.85 | 10.92 $m^3$ | 1.52 | 16.60 | | | |
| | | Total | | . | | 27.92 | 33.21 $m^3$ | | 50.48 | | | |
| P/F 60 mm thick CC interlock tiles back side of Senior Seconadary School to Bhartahari temple at Ward No. 02 (MB No 05 Page 94 to 98) | P/l cc 1:5:10 | 76.49 $m^3$ | 0.47 | 35.95 $m^3$ | 1.62 | 58.24 | 68.08 $m^3$ | 1.52 | 103.48 | 179.71 | 80 | 14377 |
| | P/l cc 1:2:4 | 8.67 $m^3$ | 0.445 | 3.86 $m^3$ | 1.62 | 6.25 | 7.72 $m^3$ | 1.52 | 11.73 | | | |
| | | Total | | . | | 64.49 | 75.80 $m^3$ | | 115.22 | | | |
| C/o drain near the house of Rajinder Kumar at Ward No. 02 | P/l cc 1:3:6 | 5.67 $m^3$ | 0.47 | 2.66 $m^3$ | 1.62 | 4.31 | 5.05 $m^3$ | 1.52 | 7.68 | 41.08 | 80 | 3286 |
| | P/l cc 1:2:4 | 14.03 $m^3$ | 0.445 | 6.24 $m^3$ | 1.62 | 10.11 | 12.49 $m^3$ | 1.52 | 18.98 | | | |
| | | Total | | . | | 14.42 | 17.54 $m^3$ | | 26.66 | | | |
| | | | | | | | | | | G.Total | | 102022 |

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
SDA Complex, Shimla-171009

58

परिशिष्ट-"ट" संदर्भित पैरा संख्या:24

# गलत गणना के कारण सविन्दाकार को अधिक भुगतान का विवरण ।

i)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Name of Work | C/o Shed at Moksh Dham at Nehrian road NP Amb | | | |
| Name of Contractor | Sh. Jitender Kumar | | | |
| Award letter No. Dated & Awarded amount | NP Amb/Award Letter/2023-273 dated 29.04.2023 & **Rs. 518481** | | | |
| M.B. No. | 05 & P-54 to 62 | | | |
| Vr. No./Date ,Bill Amount | 111/ 03.07.2023, **Rs5,18,481.00** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Work started** | **01.05.2023** | **Completion Date** | **31.05.2023** | |
| Work Item & No. | Calculation as per MB No.55 with Page reference | Calculation as per Audit | Difference | Excess Payment |
| Excavation in earth work | (Page 55) (Page 55) Net Quantity = 40.68 $m^3$ | (Page 55) Net Quantity = 40.08 $m^3$ (Calculation error) | 0.60 $m^3$ (Excess Qty taken) | =0.60X235= 141 |
| 15 mm thick cement plaster in walls | (Page 60) (Page 60) Net Quantity = 127.10 $m^3$ | (Page 60) Net Quantity = 127.00 $m^3$ (Calculation error) | 0.10 $m^3$ (Excess Qty taken) | =0.10X330= 33 |
| | | G.Total | **=141+33=Rs. 174** | |

ii)

| | |
|---|---|
| Name of Work | C/o 900 MM Hume Pipe Culvert and completion of road near Park at Ward No. 09. NP Amb |
| Name of Contractor | Sh Naresh Kumar |
| Award letter No. Dated & Awarded amount | NP/Award Letter/2023-dated 29.04.2023 & **Rs. 373651** |
| M.B. No. | 05 page No. 67-73 |
| Vr. No./Date ,Bill Amount | 125 Dated 07.07.2023 Rs. 373651 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Work started** | **Not mentioned in M.B** | **Completion Date** | | |
| Work Item & No. | Calculation as per MB No. 68 with Page reference | Calculation as per Audit | Difference | Excess Payment |
| Dismantling of CC above G.L | (Page 68 Net Quantity = 10.11 $m^3$ | Net Qty = 9.49 $m^3$ (Calculation error) | 0.62 $m^3$ (Excess Qty taken) | =0.62 x 1000= Rs.620 |
| | | G. Total | **= Rs. 620** | |
| **Total Excess Payment released** | | | **= Rs. 620** | |

**iii)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Name of Work | **C/o RCC slab culvert near the house of Kalu Master towards the house of Sehru in Ward No. 04.NP Amb** | | | |
| Name of Contractor | Sh Sahil Thakur | | | |
| Award letter No. Dated & Awarded amount | NP/Award Letter/2022-789-794-dated 11.07.2022 & **Rs. 679378** | | | |
| M.B. No. | 05 page No. 21 to 33 | | | |
| Vr. No./Date ,Bill Amount | 121 Dated 11.07.2023 Rs. 679378 | | | |

| **Work started** | **Not mentioned in M.B** | **Completion Date** | **Not mentioned in M.B** | |
|---|---|---|---|---|
| Work Item & No. | Calculation as per MB No. 05 Page25 to 27 with Page reference | Calculation as per Audit | Difference | Excess Payment |
| Centeing and shuttering i/c strutting popping etc. | (Page 25 to 27) Net Quantity = 206.20 $m^2$. | Net Qty = 188.12 $m^2$ (Calculation error) | 18.08 $m^2$ (Excess Qty taken) | =18.08 x 20= Rs.362 |
| | | G. Total | | **= Rs. 362** |
| | | **Total Excess Payment released** | | **= Rs. 362** |

**iv)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Name of Work | **P/F 60 MM thick CC interlocking tiles near main road Mahaluxmi Hardware towards the house of Sh Gopal Krishan at Ward No. 03 NP Amb** | | | |
| Name of Contractor | Sh Pawan Kumar | | | |
| Award letter No. Dated & Awarded amount | NP/Award Letter/2022-795-797-dated 11.07.2022 & **Rs. 732673** | | | |
| M.B. No. | 05 page No. 34 to 38 | | | |
| Vr. No./Date ,Bill Amount | 134 Dated 11.07.2023 Rs. **768769** | | | |

| **Work started** | **Not mentioned in M.B** | **Completion Date** | **Not mentioned in M.B** | |
|---|---|---|---|---|
| Work Item & No. | Calculation as per MB No. 5 Page 34 to 35 with Page reference | Calculation as per Audit | Difference | Excess Payment |
| PL CC 1:5:10 | (Page 35 to 36 Net Quantity = 88.35 $m^2$. | Net Qty = 87.75 $m^2$ (Calculation error) | 0.60 $m^2$ (Excess Qty taken) | =0.60 x 2700= Rs.1620 |
| P/F 60 MM CC Paver blocks | (Page 36 Net Quantity = 807.00 $m^2$. | Net Qty = 801.25 $m^2$ (Calculation error) | 0.5.75 $m^2$ (Excess Qty taken) | =5.75 x 630= Rs.3623 |
| | | G. Total | | **= Rs. 5243** |
| | | **Total Excess Payment released** | | **= Rs. 5243** |

कुल राशि =₹ 6299

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
SDA Complex, Shimla-171009